32

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

['थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएँ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल्स (मांग सं. 20 और 21) संबंधी वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थाई समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

बत्तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

['थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएँ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल्स (मांग सं. 20 और 21) संबंधी वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थाई समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
समिति (2022-23) की संरचना		4
प्राक्कथन		6
अध्याय एक	प्रतिवेदन	7
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	27
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	65
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं	66
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं	70

परिशिष्ट

एक	रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की 20.12.2022 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।	71
दो	'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएँ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल्स (मांग सं. 20 और 21) संबंधी वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थाई समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।	74

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा	
2.	श्री नितेश गंगा देब
3.	श्री राहुल गांधी
4.	श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
5.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6.	चौधरी महबूब अली कैसर
7.	श्री सुरेश कश्यप
8.	श्री रतन लाल कटारिया
9.	डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.@	श्री डी.एम. कथीर आनन्द
11.	कुंवर दानिश अली
12.	डॉ. राजश्री मल्लिक
13.*	श्री एन. रेड्डप्पा
14.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16.	श्री जुगल किशोर शर्मा
17.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
18.	श्री प्रताप सिम्हा
19.	श्री बृजेन्द्र सिंह
20.	श्री महाबली सिंह
21.	श्री दुर्गा दास उइके
राज्य सभा	
22.	डॉ. अशोक बाजपेयी
23.	श्री प्रेम चंद गुप्ता
24.	श्री सुशील कुमार गुप्ता
25.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28.	श्रीमती पी.टी. उषा
29.	श्री जी. के. वासन
30.	ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
31.	श्री के. सी. वेणुगोपाल

@ 08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

* **16.11.2022** से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21) संबंधी वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' के संबंध में यह बतीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) को 16 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया । इसमें 48 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2022 में सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर भेज दिये हैं।

3. समिति ने 20 दिसम्बर, 2022 को हुई बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
17 मार्च, 2023
26 फाल्गुन, 1944(शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

<u>प्रारूप प्रतिवेदन</u>

अध्याय - एक

रक्षा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, एमईएस, ईसीएचएस और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है जिसे 16 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

2. समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में निम्नलिखित विषयों से संबंधित 48 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं:-

पैरा सं.	विषय
थल सेना	
1-2	बजट
3-4	स्वदेशीकरण
5	आधुनिकीकरण बजट
6	बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे)
7	जनशक्ति
वायु सेना	
8-10	वायु सेना
11-13	बल स्तर
14	जनशक्ति
15	प्रशिक्षु विमान
16	एयर फील्ड्स की अवसंरचना
भारतीय नौसेना	
17-19	बजट
20	स्वदेशीकरण
21-22	आधुनिकीकरण बजट
23	बल स्तर
24	जनशक्ति

संयुक्त स्टाफ	
25-28	बजट
एमईएस	
29-30	बजट
31-32	वित्तीय देयताएं
ईसीएचएस	
33-36	बजट
सैनिक स्कूल	
37-39	बजट
40-43	अवसंरचना
44-46	बालिका उम्मीदवारों की भर्ती
47-48	नए सैनिक स्कूल खोलना

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 48 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर सरकार से प्राप्त हो गए हैं। उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (अध्याय दो):

पैरा सं. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24, 25,26,27,28,29,30, 31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

(कुल - 44)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है (अध्याय तीन):

पैरा सं. - 0

(कुल - 0)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं (अध्याय चार):

पैरा सं. 3,4,22,33

(कुल - 4)

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार द्वारा अंतिम उत्तर प्रतीक्षित हैं (अध्याय पांच):
पैरा सं. 0

(कुल - 0)

4. समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक में की गई उनकी टिप्पणियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया उन्हें यथाशीघ्र और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के छह माह के भीतर अवश्य प्रस्तुत किए जाए।

5. समिति अब अनुवर्ती पैराओं में सत्ताईसवें प्रतिवेदन में की गई कुछेक टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी।

थल सेना

क. थल सेना का बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 1 और 2)

6. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

"थल सेना सशस्त्र बलों का भूमि घटक है। भारतीय सेना भारत को मजबूती प्रदान करती है और राष्ट्रीय मूल्यों का पालन करती है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए समर्पित सेना के सामने आने वाली चुनौतियों में छद्म युद्धों को विफल करना, आंतरिक खतरों का सामना करना, सभी जरूरतों और संकटों के दौरान सरकार और भारत के लोगों की सहायता करना शामिल है। समिति यह नोट करती है कि बीई 2022-23 में राजस्व शीर्ष के तहत सेना का अनुमान 1,74,038.35 करोड़ रुपये था और अनुमोदित आवंटन 1,63,713.69 करोड़ रुपये है। इसमें 10,225.66 करोड़ रुपये की कमी है। आगे राजस्व बजट की जांच करते हुए समिति ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरई में राजस्व शीर्ष के तहत सेना का अनुमान 1,68,657.23 करोड़ रुपये है और आवंटन 1,57,619.06 करोड़ रुपये था। इसमें भी 8,891.01 करोड़ रुपये कम थे। हालांकि, सेना इस राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगी क्योंकि दिसंबर, 2021 तक किया गया व्यय सिर्फ 1,24,608.42 करोड़ रुपये है। समिति यह नोट करती है कि पिछले वर्ष के दौरान भी सेना आबंटित निधि को पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाई थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि राजस्व बजट का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से वेतन और भत्तों के लिए होता है जो एक निश्चित व्यय है और गैर-वेतन व्यय में राशन, भंडार, परिवहन, ईंधन आदि आते हैं। ये सेना के नियमित प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक तैयारियों के लिए भी आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में समिति यह पाती है कि यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में बीई आबंटन अनुमान से कम है, फिर भी 10,000 करोड़ रुपये की कमी होने से सेना की प्रचालनात्मक तैयारियों से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सेना को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक, आरई और आशोधित विनियोग चरणों में इसकी प्रचालनात्मक और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर पर्याप्त बजट प्रदान किया जाए।"

7. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"बजट प्राक्कलन 2022-23 में सेना के लिए राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 163713.69 करोड़ रु.(अर्थात बजट प्राकक्लन 2021-22 की तुलना में 16069.56 करोड़ रु. की वृद्धि) की राशि आबंटित की गई है । तथापि, समिति को आश्वस्त किया जा सकता है कि सेना द्वारा राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक/संशोधित प्राक्कलन/एमए स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए आबंटित निधियों का इष्टतम रूप में उपयोग किया जाएगा । यदि आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित करने के लिए योजना को पुनः वरीयता दी जाएगी कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताएं, प्रचालनात्मक तैयारी के साथ बिना किसी समझौते के हासिल की जाती हैं।"

सिफारिश (पैरा संख्या 2)

8. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की:

"समिति यह नोट करती है कि पूंजीगत बजट में मुख्यतः आधुनिकीकरण, बल स्तर में वृद्धि, अवसंरचना विकास आदि पर व्यय का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बीई में पूंजी शीर्ष के तहत सेना का अनुमान 46,844.37 करोड़ रुपये था और आवंटन 32,115.26 करोड़ रुपये है। मांग की तुलना में आबंटन में 14,729.11 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। आरई 2021-22 में सेना का अनुमान 38,344.90 करोड़ रुपये था जिसकी तुलना में 25,377.09 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो कि मांग से 12967.81 करोड़ रुपये कम है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीन तिमाहियों यानी दिसंबर 2021 तक का खर्च सिर्फ 14,569.08 करोड़ रुपये था। समिति का विचार है कि इतने बड़े सीमा क्षेत्र और पड़ोसी देशों के मित्रवत न होने के कारण सेना की भौतिक रूप से तैनाती अनिवार्य है। साथ ही उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीन और मशीन का प्रयोग करने वाले सैनिक, दोनों साथ मिलकर ही युद्ध जीत सकते हैं। समिति की राय है कि सेना को उच्च मनोबल वाले सैनिकों के साथ-साथ नवीनतम हथियार प्रणालियों की भी आवश्यकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि सेना को अगले बजट से पूंजी शीर्ष के तहत अनुमान के अनुसार आवंटन किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद के चरणों यानी अनुपूरक, आरई और आशोधित विनियोग चरण में आवश्यकता पड़ने पर सेना को पूंजीगत व्यय हेतु पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी उम्मीद व्यक्त की कि सेना चालू

वित्तीय वर्ष के अंत तक आरई 2021-22 में आवंटित लगभग 11,000 करोड़ रुपये के शेष संसाधनों का उपयोग कर लेगी।"

9. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सकारात्मक विचार के लिए सेनाओं द्वारा थलसेना सहित अनुमानित आवश्यकताएं प्रस्तुत की हैं। निधियों के आबंटन के समय वित्त मंत्रालय ने सेनाओं की विगत समावेशन क्षमता, चालू वित्त वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध सभी संसाधन सीमा तथा अन्य तिमाहियों इत्यादि में आवश्यक मांगों का विश्लेषण करता है । वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित समग्र सीमाओं के आधार पर रक्षा मंत्रालय अंतर सेना प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लम्बित प्रतिबद्ध देयताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए थलसेना सहित सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के संगठनों के लिए निधियों का आबंटन करता है।

समिति को आश्वस्त किया जा सकता है कि सेना द्वारा पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक/संशोधित प्राक्कलन/संशोधित विनियोग स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा संक्रियात्मक कार्यकलापों के लिए आवंटित निधियों का इष्टतम रूप में उपयोग किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का पुनः प्राथमिकता निर्धारण किया जाएगा ताकि संक्रियात्मक तैयारी के साथ बिना समझौते किए तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताएं हासिल की जा सकें। संशोधित प्राक्कलन 2021-22 में 25,377.09 करोड़ रु. के आबंटन की तुलना में सेना ने पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत मार्च 2022(पहले) के अनुसार 25130.63 करोड़ रु. की सीमा तक व्यय किया है अर्थात सेना द्वारा पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित निधियों का पूरा उपयोग किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड महामारी के कारण उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई थीं जिनके कारण निर्धारित आपूर्तियों में रुकावट आई थी जिससे वित्त वर्ष 2021-22 की प्रथम तीन तिमाहियों में व्यय की धीमी गति रही थी। तथापि, 31 मार्च, 2022 तक, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31.03.2022 (वित्त वर्ष 2021-22) की स्थिति के अनुसार सेना के लिए 20305 करोड़ रु. के संशोधित विनियोग (एमए) आबंटन की तुलना में कुल पूंजी अधिप्राप्ति व्यय 20857 करोड़ रु. है।"

10. समिति अनुपूरक/संशोधित अनुमान(आरई)/संशोधित विनियोग (एमए) स्तर पर सेना द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त धन की मांग करने और प्रचालन गतिविधियों के लिए आवंटित राशि का इष्टतम यपयोग करने के प्रयासों के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में की गई कार्रवाई के उत्तरों से नोट करती है। मंत्रालय ने पुनः आश्वस्त किया है कि यदि आवश्यक हो, तो योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण पुनः किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचालनात्मक तैयारियों को पूरा करने के लिए बिना किसी समझौते के तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं को अधिप्राप्त किया जाएगा। समिति ने उत्तरों में दिए गए आंकड़ों में पाया कि संशोधित अनुमान 2021-22 में, 25,377.09 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, सेना ने पूंजीगत मद के तहत 25,130.63 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि मार्च, 2022 के अंत तक, पूंजीगत शीर्ष के तहत आवंटित धन का सेना द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया गया है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि अनुमान के अनुसार निधि प्रदान की जाए तो सेना के पास आवंटित निधि का उपयोग करने की क्षमता है।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सेना द्वारा की गई मांगों के अनुसार बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक, संशोधित प्राक्कलन, संशोधित विनियोग, विनियोग चरणों में इसकी प्रचालनात्मक और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान किया जाए, ताकि सेना की परिचालनात्मक तैयारी बाधित न हो।

ख. स्वदेशीकरण

सिफारिश (पैरा संख्या 3 और 4)

11. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान समिति को यह बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने भली-भांति सोच समझकर स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। पहले बड़ी संख्या में वैश्विक स्तर पर अधिग्रहण किए जा रहे थे जिन्हें अब घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। इसमें थोड़ा अधिक समय लग गया क्योंकि इसमें उद्योग द्वारा नए उपकरणों का उत्पादन, इनका परीक्षण, तदुपरांत स्वीकृति और अग्रिम मोर्चों पर उत्पाद का प्रयोग करना शामिल है। सेना के प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत बजट में कटौती या पुन: विनियोग के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सेना की सराहना करती है और चाहती है कि वैश्विक स्तर पर मौजूदा विवाद परिदृश्य को

देखते हुए मंत्रालय को सशस्त्र बलों को इष्टतम रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने चाहिए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

समिति को सूचित किया गया कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान (31.12.2021 तक) भारतीय सेना के लिए टैंक, मिसाइल, वाहन, टैंकों के लिए माइन प्लाउ, पिनाक प्रणाली, सुरक्षित संचार प्रणाली, मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड (एमएचएचजी), हथियार का पता लगाने वाले रडार और असॉल्ट राइफल्स जैसे रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ 29 अनुबंधों में से 19 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। 2020-21 और 2021-22 के दौरान (दिसंबर 2021 तक) स्वदेशी अनुबंधों पर सेना के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट के तहत क्रमशः 17,446.83 करोड़ रुपये और 9946 करोड़ रुपये व्यय किए गए। समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि आबंटित राशि का लगभग 80% घरेलू खरीद के लिए दिया गया है और सेना घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने का समर्थन कर रही है। समिति ईमानदारी से चाहती है कि आने वाले समय में सेना के बल संवर्धन और आधुनिकीकरण के लिए परिव्यय का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए।"

12. मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई के उत्तर में निम्नवत कहा है:

"भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 10 मार्च, 2021 के अपने आदेश द्वारा वर्ष 2021-22 में घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए 71.438 करोड़ रु. (कुल पूंजीगत बजट का 64.09 प्रतिशत) की राशि की निधियां निर्धारित की जिसमें वर्ष 2022-23 में घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए 84597.89 करोड़ रु.(कुल पूंजीगत अधिग्रहण बजट का 68 प्रतिशत) तक की वृद्धि की गई है। सेना के लिए वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत अधिग्रहण बजट हेतु 25908.85 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिसमें से घरेलू अधिप्राप्ति के लिए 19690.73 करोड़ रु. (76.00 प्रतिशत) आबंटित किए गए हैं ।

इसके अलावा, विगत दो वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान सेना पूंजीगत अधिग्रहण संबंधी कुल 33 संविदाओं में से रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ 23 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।"

13. समिति ने की गई कार्रवाई के उत्तर से पाया कि वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 76% घरेलू खरीद के लिए सेना को सौंपा गया है। समिति हर वर्ष लक्ष्यों को प्राप्त करने में निरंतरता बनाए रखने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि हमारे घरेलू रक्षा उद्योग को अधिक

नवोन्मेष बनाया जा सके और साथ ही युद्ध जैसी स्थिति के समय सेना विदेशी आपूर्ति पर कम निर्भर हो सके। इस संबंध में समिति चाहती है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग से सेना के लिए खरीदी गई वस्तुओं के बारे में विस्तार से सूचित किया जाए और उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया जाए जो आयात प्रतिस्थापित उत्पाद हैं।

ग. आधुनिकीकरण बजट

सिफारिश (पैरा संख्या 5)

14. समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:

"समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजी अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत बीई चरण में सेना को 30,636.90 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इन आवंटनों की तुलना में (दिसंबर, 2021 तक) 11,760.68 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। आगे यह भी बताया गया कि व्यय की गति को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण के 2021-22 में सेना को अतिरिक्त धन आवंटित नहीं किया गया था, और अभ्यर्पित निधि, यदि कोई हो तो, का वित्तीय वर्ष 2021-22 के आशोधित विनियोग को अंतिम रूप देते समय पता चल जाएगा। आरई चरण में विनियोग के बाद 19485.09 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। सेना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहले और दूसरे अनुपूरक चरण में किसी अतिरिक्त आवंटन की मांग नहीं की थी। समिति पाती है कि सेना की आधुनिकीकरण गतिविधियों पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया गया है। स्वदेशीकरण पर बल देने के कारण, जिसका पहले उल्लेख किया गया है, को ध्यान में रखते हुए समिति दोहराती है कि इस संबंध में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और जहां तक संभव हो ऐसी आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद की जानी चाहिए जो भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित हो। इस तरह के निर्णय वर्तमान खतरे की आशंकाओं पर आधारित होने चाहिए और इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । समिति ने उम्मीद जताई है कि आधुनिकीकरण के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च की जाने वाली शेष धनराशि का इष्टतम और विवेकपूर्ण ढंग से पूर्ण उपयोग किया जाएगा । अंतिम समय में खर्च करने की जल्दबाजी में कोई फिजूलखर्ची न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।"

15. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई के उत्तर में निम्नवत बताया है:

"बजट प्राक्कलन 2022-23 में, सेना की कुल पूंजीगत अधिप्राप्ति का 76% अर्थात 19,690.73 करोड़ रुपए और बजट प्राक्कलन 2021-22 में 72% तक आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुसार घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति हेतु चिन्हित किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो पुनः प्राथमिकता के द्वारा, रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से किसी प्रकार का समझौता किए बिना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अर्जन सुनिश्चित किया जाता है।

पूंजीगत अर्जन(आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत सेना को एमए 2021-22 में 20304.93 करोड़ रु. के आवंटन के एवज में, मार्च(पूर्व) 2022 के अनुसार 20,231.11 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई ।

इसके अलावा, बजटीय आवंटनों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरों पर समय-समय पर व्यय की गई राशि की पुनरीक्षा की जाती है। वित्तीय स्वामित्व नियमों के अनुसरण और निधि के अधिक व्यय/अल्प उपयोग को दूर करने के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। समिति को आश्वासन दिया जा सकता है कि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।"

16. समिति उत्तर से समझती है कि मंत्रालय निस्संदेह घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। जैसा कि स्पष्ट है, खरीद लगातार बढ़ रही है और अब बजट अनुमान 2022-23 के दौरान सेना की कुल पूंजीगत खरीद के 76% अर्थात 19,690.73 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। तथापि, चूंकि स्वदेशी स्त्रोतों से खरीदी गई प्रणालियों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए समिति यह दोहराना चाहेगी कि आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद की जानी चाहिए जो भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित और स्वदेशी सामग्री के साथ की जाएं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करते समय, भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित प्रणालियों की स्वदेशी सामग्री के संबंध में जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए।

घ. बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे)

सिफारिश (पैरा संख्या 6)

17. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित उत्तरों से समिति यह नोट करती है कि सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट/बॉडी आर्म/बॉडी प्रोटेक्टर के विनिर्माण के लिए निजी कंपनियों को उक्त रक्षा स्टोरों की स्वदेशी क्षमताओं के लिए लाइसेंस जारी कर रही है। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्तमान में निजी क्षेत्र में 21 कंपनियों को बुलेट प्रूफ जैकेट के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं और 07 कंपनियों नामतः मैसर्स अंजनी टेक्नोप्लास्ट, नोएडा, मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, मैसर्स इंडियन आर्मर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा, मैसर्स स्टार वायर इंडिया लिमिटेड, हरियाणा, मैसर्स भरिज फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब, मैसर्स ए एंड टी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद और मैसर्स टाटा एडवांस्ड मैटेरियल लिमिटेड, बेंगलुरु ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड ने 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेटों (बीपीजे) की आपूर्ति करने के लिए एमओडी के एक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकारी क्षेत्र में ट्रूप्स कम्फर्ट लिमिटेड ने बुलेट रेसिस्टेंस जैकेट (बीआरजे) विकसित किए हैं और तमिलनाडु पुलिस को सफलतापूर्वक 172 बीआरजे के एक छोटे ऑर्डर की आपूर्ति की है। एक अन्य डीपीएसयू, मिधानी ने भी प्रयोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के बीआरजे का विनिर्माण शुरू कर दिया है और सुरक्षा और रक्षा बलों को इसकी आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, मिधानी ने भाभा कवच सहित बीआरजे का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक आधुनिक टाउनशिप (आईएमटी), रोहतक में एक कैप्टिव उत्पादन इकाई स्थापित की है। मौखिक साक्ष्य के दौरान, एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि बुलेटप्रूफ जैकेट में दो/तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं और विभिन्न परतों में से एक परत पॉलिमर डिजाइन की आवश्यक प्लेट होती है। हमारे देश में पॉलिमर की कतिपय परतें नहीं बनाई जा रही थी और उद्योग जो कुछ आयात कर रहे थे वे सभी हमारे देश में शत प्रतिशत अभिकल्पित, निर्मित और विनिर्मित किए जाते हैं। समिति को यह जानकर खुशी है कि लगातार कई वर्षों के इंतजार के बाद हमारे सैनिकों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा स्वदेशी रूप से निर्मित बीपीजे से होगी। समिति आशा करती है कि 1,86,138 बीपीजे की तत्काल खरीद की जाएगी और वर्ष के अंत तक शेष प्राधिकृत मात्रा का भी ऑर्डर दे दिया जाएगा।"

18. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"1,86,138 बुलेटप्रूफ जैकेटों की खरीद हेतु वर्ष 2018 में संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे और बुलेटप्रूफ जैकेटों की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति कर दी गई है।"

19. समिति यह जानकर खुश है कि संविदा पर हस्ताक्षर करने के चार वर्षों के बाद कुल 1,86,138 बुलेटप्रूफ जैकेटों की खरीद पूरी हो गई है। हालांकि, मंत्रालय ने उत्तर प्रस्तुत करते समय शेष अधिकृत संख्या का आर्डर देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू छोड़ दिया है। इसलिए, समिति चाहती है कि सेना को शेष अधिकृत संख्या की भी यथाशीघ्र आपूर्ति की जाए। समिति बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे) की वर्तमान आवश्यकता और साथ ही इन्हें कब तक सौप दिया जाएगा से भी अवगत होना चाहती है।

ङ. वायु सेना का बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 9)

20. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"पूंजीगत खंड के मामले में भी, समिति ने अनुमान और आवंटन में काफी अंतर पाया। बजट अनुमान 2022-23 में 85,322.60 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, जबकि केवल 56,851.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और लगभग 30,000 करोड़ रुपये का स्पष्ट अंतर है। चूंकि पूंजीगत बजट मुख्य रूप से सेना के आधुनिकीकरण और संवर्धन पर व्यय को पूरा करता है, इसलिए आवंटन में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमान की कमी ध्यान देने योग्य है। डीएफजी की चर्चा के दौरान, वायुसेना के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि विद्यमान लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति का विचार है कि वर्तमान प्लेटफार्मो का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों की खरीद भी समय की मांग है। दो मोर्चों पर खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए, वायु शक्ति में वृद्धि सर्वोपरि है। वायुसेना की खरीद बड़े पैमाने पर गहन पूंजी आधारित होने के कारण, समिति आरई या अनुपूरक अनुदान स्तर पर पूंजी शीर्ष के तहत वायुसेना को अतिरिक्त आवंटन की सिफारिश करती है।"

21. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"बीई 2022-23 में वायु सेना को पूंजीगत शीर्ष के तहत 56851.55 करोड़ रुपए (अर्थात् आरई 2021-22 की तुलना में 10830.01 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई) की राशि आवंटित की गई । तथापि, समिति को सूचित किया जाता है कि राजस्व शीर्ष के तहत वायु सेना द्वारा अनुपूरक/आरई स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, आवंटित निधि का आपरेशनल क्रियाकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा । यदि आवश्यक होता है तो, पुनः प्राथमिकता के द्वारा, रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से किसी प्रकार का समझौता किए बिना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अर्जन सुनिश्चित किया जाता है।"

22. समिति ने मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से पाया कि वह इस तथ्य से संतुष्ट है कि बजट अनुमान 2022-23 में वायु सेना को 56,851.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में 10,830.01 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। समिति की राय में, तुलना बीई 2022-23 और बीई 2021-22 या आरई 2022-23 और आरई 2021-22 के बीच की जानी चाहिए थी। मूल रिपोर्ट में समिति ने इस बात को रेखांकित किया था कि बजट अनुमान 2022-23 में, अनुमान 85,322.60 करोड़ रुपये था, इसके विपरीत, किया गया आवंटन केवल 56,851.55 करोड़ रुपये था, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये का बड़ा अंतर था। जब यह स्पष्ट है कि दो मोर्चों पर खतरे की आशंका पहले से बढ़ गई है और वायु शक्ति में वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण है, तो मंत्रालय का यह उत्तर कि योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन तैयारियों से किसी भी समझौते के बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अधिग्रहण किया जाए, समिति को आश्वस्त नहीं कर रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वायु सेना के लिए खरीद काफी हद तक पूंजी प्रधान है, इसलिए समिति स्पष्ट शब्दों में दोहराती है कि वायु सेना आरई या पूरक अनुदान के स्तर पर वायु सेना द्वारा वांछित अतिरिक्त आवंटन किया जाना चाहिए।

च. भारतीय नौसेना का बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 18)

23. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"समिति यह पाती है कि राजस्व क्षेत्र नौसेना ने बीई 2022-23 में 34701.66 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था, हालांकि, इसे केवल 25406.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान की तुलना में 9295.24 करोड़ रुपए कम आवंटित किए गए । साक्ष्य के दौरान, नौसेना के प्रतिनिधियों ने कहा कि कमी को युक्तिसंगत बनाकर और प्राथमिकता निर्धारित कर कम किया जाता है । समिति का मानना है कि राजस्व बजट का उपयोग नौसेना के प्रचालन, प्रशिक्षण, अनुरक्षण, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए किया जाता है, जो नौसेना की 'तैयारी' के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस शीर्ष में अपर्याप्तता से दुर्घटनाएं और जनहानि हो सकते हैं, इसके अलावा, राजस्व बजट में वृद्धि को भी मुद्रास्फीति से जोड़े की आवश्यकता है । समिति का विचार है कि 9295.24 करोड़ रुपए की कमी से दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर असर पड़ सकता है और इसलिए कभी भी नौसेना की प्रचालनीयता प्रभावित हो सकती है । इसलिए समिति का विचार है कि राजस्व शीर्ष के तहत आवश्यक निधियों के लिए नौसेना की आवश्यकताओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि परिचालन तैयारी प्रभावित न हो।"

24. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"राजस्व खंड के अंतर्गत नौसेना को पर्याप्त बजटीय आबंटन की आवश्यकता को आवधिक समीक्षा चरणों में रेखांकित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नौसेना की प्रचालनात्मक तैयारी प्रभावित न हो। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए अनुमानों और व्यय के आधार पर, वित्त वर्ष 20**21-22** में संशोधित प्राक्कलन और एमए चरणों में अतिरिक्त निधियां आबंटित की गई थीं।"

25. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को पढ़ने के परिणामस्वरूप समिति इस स्तर पर अपेक्षा करती है और चाहती है कि मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो, राजस्व और पूंजीगत आवश्यकताओं दोनों के लिए नौसेना को अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी ताकि तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अधिग्रहण किया जा सके और नौसेना की परिचालन तैयारियां प्रभावित न हो ।

छ. भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण बजट

सिफारिश (पैरा संख्या 21)

26. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"समिति यह नोट करके चिंतित है कि आधुनिकीकरण बजट में काफी कम खर्च किया गया है । इस संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कतिपय संविदाएं लंबित हैं और शेष राशि का उपयोग इसके लिए किया जाएगा । यह भी बताया गया था कि कोविड प्रभाव के कारण इस तरह के अनुबंधों में देरी हुई थी, समिति चालू वित्त वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए नौसेना द्वारा शेष संसाधनों के विवेकपूर्ण और इष्टतम उपयोग की सिफारिश करती है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कोई अतिशेष न रह जाए। समिति यह समझती है कि नौसेना की कई आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाएं एलटीटीआईपीपी 2012-27 के अनुरूप पाइपलाइन में हैं। समिति यह आशा करती है कि नवीनतम मानव रहित प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों पर आधारित नए वैज्ञानिक रोडमैप के साथ, नौसेना लगातार इस आधुनिकीकरण अभियान को आगे बढ़ाएगी । आशा व्यक्त करती हैं कि नौसेना परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान जारी रखे जाएंगे ।"

27. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"भारतीय नौसेना (आईएन) ने पिछले दो वित्तीय वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में आधुनिकीकरण खंड के तहत आबंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया है जिसमें संशोधित प्राक्कलन/एमए चरणों में अतिरिक्त आबंटन शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले आधुनिकीकरण खंड के अंतर्गत भारतीय नौसेना को बढ़े हुए आबंटन ने भारतीय नौसेना की उच्च प्रतिबद्ध देयताओं को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे एलटीआईपीपी 2012-27 के अनुरूप नई योजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त राजकोषीय स्थान सृजित हुआ है।"

28. समिति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है कि भारतीय नौसेना ने विगत दो वित्तीय वर्षों में आधुनिकीकरण भाग के तहत आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया है और आरई/एमए चरणों में प्राप्त अतिरिक्त आवंटनों का भी उपयोग किया है। इस तथ्य के मद्देनजर

कि नौसेना की निधि उपयोग क्षमता इष्टतम है, समिति यहां यह सिफारिश करना चाहेगी कि नवीनतम मानव रहित प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास/अधिग्रहण/आधुनिकीकरण के लिए नौसेना को और आबंटन किया जाना चाहिए।

ज. भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण बजट

सिफारिश (पैरा संख्या 22)

29. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"विशेष रूप से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन के संबंध में, समिति को अवगत कराया गया था कि नौसेना को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीई (आधुनिकीकरण) के तहत 45,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । इसके अलावा, यह कहा गया कि वर्तमान कुल प्रतिबद्ध देनदारियां 1,20,890 करोड़ रुपए हैं । अगले पांच वर्षों में अनुबंध के लिए 1,99,252 करोड़ रुपए और 2,50,571 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण योजनाएं प्रगतिशील हैं । समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि वर्तमान स्थायी प्रतिबद्ध देयताएं आवंटन से कहीं अधिक हैं, इसलिए, सरकार को आबंटन करते समय वर्तमान देनदारियों का ध्यान रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पष्ट देयताएं भविष्य की संविदा वार्ताओं में बाधाएं पैदा न करें।"

30. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"बजट प्राक्कलन 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत भारतीय नौसेना को 45,250 करोड़ रुपए (अर्थात बजट प्राक्कलन 2021-22 की तुलना में 14,218.98 करोड़ रुपए की वृद्धि) भारतीय नौसेना को आवंटित किया गया था ।

तथापि, समिति को यह आश्वासन दिया जाये कि पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण पर भारतीय नौसेना द्वारा अनुमानित अतिरिक्त निधीयन प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, आवंटित निधियों का संक्रियात्मक कार्यकलापों में उपयोग में किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो योजनाओं को पुनः प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को संक्रियात्मक तैयारी और भविष्य की संविदा वार्ताओं से बिना समझौता किए प्राप्त किया जा सके।"

31. समिति ने यह पाया है कि आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत किए गए आवंटन अनिवार्य रूप से पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत आते हैं। समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में रेखांकित किया था कि समिति की देनदारियों पर विचार किए बिना ही आवंटन किए गए जिससे नई योजनाओं हेतु कुछ भी आवंटन शेष नहीं बचा। अतः समिति, बलों की पूंजी प्रधान प्रकृति को देखते हुये इस बात को दोहराना चाहती है कि संशोधित अनुदान या अनुपूरक अनुदान चरण में पर्याप्त आवंटन किया जाये और किसी भी परिस्थिति में आवंटन प्रतिबद्ध देनदारियों से कम नहीं होना चाहिए।

झ. सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) के लिए बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 29)

32. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति यह नोट करती है कि सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) के अन्तर्गत इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा केवल थल सेना के लिए कैरी ओवर कैपिटल और कतिपय राजस्व शीर्षों और रखरखाव सेवाओं के लिए आवंटित बजट की निगरानी के लिए उत्तरदायी है । सेवा मुख्यालयों द्वारा स्टाफ चैनल के माध्यम से थल सेना के शेष कोड शीर्षों और अन्य सेवाओं के सभी कोड शीर्षों के लिए आवंटन एमईएस की निचली सेवाओं (लोवर एमईएस फार्मेशन्स) के लिए किया जाता है। समिति ने पाया कि 2020-21 में पूंजी शीर्ष के तहत, एमईएस के लिए अनुमानित बजट 10,462.71 करोड़ रूपये था, जबकि वास्तव में 8833.13 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया और केवल 6604.51 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया। कम उपयोग का कारण कोविड -19 महामारी के कारण विलंब बताया गया था। 2021-22 में एमईएस को 9137 करोड़ रूपये प्राप्त हुए जिसमें से 31 जनवरी, 2022 तक केवल 5876 करोड़ रूपये का उपयोग किया जा सका। साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरे बजटीय आवंटन का उपयोग कर लिया जाएगा। समिति इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि गत वर्ष, महामारी के कारण आवंटित राशि का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका और इस वर्ष भी 3261 करोड़ रूपये का उपयोग किया जाना बाकी है। समिति सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष में बिना चूके पूरे आवंटित निधि का उपयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। समिति इस बात को भी नोट करती है कि 484.42 करोड़ रुपये के छह कार्य और 2397.14 करोड़ रुपये 11वीं योजना के 25 सीसीएस कार्यों का थल सेना के लिए पुन: प्राथमिकीकरण किया गया था और 2263.71 करोड़ रुपये के 57 कार्यों का वायुसेना के लिए पुन: प्राथमिकीकरण किया गया था। समिति चिंता व्यक्त करते हुए नोट करती है कि एक ओर करोड़ों रुपये के कार्यों की

प्राथमिकता पुन: निर्धारित की जा रही है और दूसरी ओर धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है और अंततः धनराशि वापस कर दी जा रही है। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एक उपयुक्त व्यय प्रबंधन तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके और पूंजी बजट का ईमानदारी से उपयोग किया जा सके और वित्त वर्ष की तीन तिमाहीयों और अंतिम तिमाही के भीतर की निर्धारित समय और व्यय की सीमाओं का सख्ती से पालन किया जा सके। ताकि अप्रयुक्त निधियों को वित्तीय वर्ष के अंत में वापस न करना पड़े और तीनों बलों के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपये के कार्यों की प्राथमिकता का पुन: निर्धारण ना करना पड़े।"

33. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् जानकारी दी:

"निधियों की वापसी को कम करने के लिए कई उपाए किए गए हैं । कार्यों की आयोजना, निष्पादन और निगरानी संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को 18 अक्तूबर, 2021 को अनुमोदित किया गया था । यह एसओपी कार्यों की संकल्पना से समापन तक प्रयोक्ता और एमईएस की जवाबदेही के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करती है और जवाबदेही का निर्धारण करती है । एसओपी, कार्य की प्रत्याशित गुणवत्ता, कार्य को पूरा करने का समय, स्टेशन कमांडर एवं परियोजना प्रबंधन समूह (पीएमजी) के कार्यकरण के दिशानिर्देश भी निर्धारित करती है । इनमें कार्यों की प्रगति की निगरानी में सुधार और निष्पादन की पद्धति में सुधार के उपाय शामिल हैं । वेब आधारित परियोजना प्रबंधन (डब्ल्यू बीपीएमपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यों के लिए निगरानी-तंत्र में सुधार करने के अतिरिक्त, एमईएस, अभियांत्रिकी प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) निष्पादन प्रणाली को धीरे-धीरे अपना रही है जिससे कार्यों के निष्पादन की समग्र गति में सुधार होने तथा पूंजीगत बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होने की प्रत्याशा है।"

34. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की थी कि पूंजीगत बजट के ईमानदारीपूर्ण उपयोग हेतु मंत्रालय को एक उपयुक्त व्यय प्रबंधन तंत्र विकसित करना चाहिए। समिति को प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने कार्यों की आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित कर उसे 18 अक्तूबर 2021 को अपनाया है। एसओपी में कार्य की प्रत्याशित गुणवत्ता, इसे पूरा करने का समय, स्टेशन कमांडर एवं परियोजना प्रबंधन समूह (पीएमजी) के कार्यकरण के दिशानिर्देश निर्धारित हैं। इसके अलावा एमईएस, कार्यों के क्रियान्वयन की गति में सुधार तथा पूंजीगत बजट का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु धीरे धीरे अभियंता प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) प्रणाली को अपना रही है। समिति के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि नई एसओपी के लागू होने के पश्चात् एमईएस को दिये

गए कार्य तय समय-सीमा में पूरे होंगे तथा एमईएस को प्राप्त राशि के इष्टतम उपयोग में कोई समस्या नहीं होगी।

ञ. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 33)

35. समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:

"समिति नोट करती है कि 2020-21 में ईसीएचएस को संशोधित विनियोग चरण में 5321.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन वास्तविक उपयोग केवल 4579.63 करोड़ रुपये था। समिति यह देखकर निराश है कि कोविड महामारी के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि और बिलों के लंबित होने के बावजूद, आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में इसे वापस करना पड़ा। समिति ने आगे यह भी नोट किया कि 2021-22 में संशोधित अनुमान चरण में 4412.51 करोड़ रुपये के आवंटन के बाद, मंत्रालय ने 550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग रखी जिससे कुल अनुमानित मांग 4962.51 करोड़ रुपये हो गई। तथापि, 31 जनवरी, 2022 तक 3882.20 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग हुआ। ईसीएचएस के पास पैनलबद्ध अस्पतालों तथा ईसीएचएस लाभार्थियों से संबंधित लंबित बिलों को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि 2021-22 में अतिरिक्त आवंटित धनराशि का विवेकपूर्ण तरीके से और सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाए। समिति इस बात से बहुत क्षुब्ध है कि बड़े और मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों के ईसीएचएस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने से इनकार करने का कारण भारी संख्या में बिलों का लंबित होना बताया गया जिसके कारण ईसीएचएस लाभार्थी सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना चाहिए ताकि 2021-22 में धन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यह योजना हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित है और इसे हर हाल में इस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। समिति पैनलबद्ध और ईसीएचएस निजी अस्पतालों और लाभार्थियों की कुल बकाया राशि और बकाया चुकाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहती है।"

36. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् जानकारी दी:

"विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 4870.75 करोड़ रुपए के कुल बजटीय आवंटन में से 31.03.2022 तक 4860.54 करोड़ रुपए का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।" ईसीएचएस लाभार्थियों और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के 6.4.2022 तक लंबित बिलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**बिल का प्रकार**	**बिलों की संख्या**	**राशि (करोड़ में)**
(क)	व्यैक्तिक बिल	75,595	212.33
(ख)	पैनलबद्ध अस्पतालों के बिल	7,24,943	**1856.58**

37. समिति को यह जानकर खेद है कि ईसीएचएस के पास 212.33 करोड़ रुपये की राशि के 75,595 व्यैक्तिक बिल तथा 1856.58 करोड़ रुपये की राशि के 7,24,943 पैनलबद्ध अस्पतालों के बिल भुगतान के लिए लंबित हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है,बड़े एवं मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का ईसीएचएस योजना के अंतर्गत सेवा समाप्त करने का कारण भारी संख्या में बिलों का भुगतान लंबित होना है। फलस्वरूप ईसीएचएस लाभार्थी सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान हेतु सरकार को तत्परतापूर्वक ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे कि उन सैनिकों को सुविधा मिल सके जिन्होंने अपना यौवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया।

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सेना

सेना के बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 1 और 2)

थल सेना सशस्त्र बलों का भूमि घटक है। भारतीय सेना भारत को मजबूती प्रदान करती है और राष्ट्रीय मूल्यों का पालन करती है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हमारे राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए समर्पित सेना के सामने आने वाली चुनौतियों में छद्म युद्धों को विफल करना, आंतरिक खतरों का सामना करना, सभी जरूरतों और संकटों के दौरान सरकार और भारत के लोगों की सहायता करना शामिल है। समिति यह नोट करती है कि बीई 2022-23 में राजस्व शीर्ष के तहत सेना का अनुमान 1,74,038.35 करोड़ रुपये था और अनुमोदित आवंटन 1,63,713.69 करोड़ रुपये है। इसमें 10,225.66 करोड़ रुपये की कमी है। आगे राजस्व बजट की जांच करते हुए समिति ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरई में राजस्व शीर्ष के तहत सेना का अनुमान 1,68,657.23 करोड़ रुपये और आवंटन 1,57,619.06 करोड़ रुपये था । इसमें भी 8,891.01 करोड़ रुपये कम थे। हालांकि, सेना इस राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगी क्योंकि दिसंबर, 2021 तक किया गया व्यय सिर्फ 1,24,608.42 करोड़ रुपये है। समिति यह नोट करती है कि पिछले वर्ष के दौरान भी सेना आबंटित निधि को पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाई थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि राजस्व बजट का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से वेतन और भत्तों के लिए जाता है जो एक निश्चित व्यय है और गैर-वेतन व्यय में राशन, भंडार, परिवहन, ईंधन आदि शामिल हैं। ये सेना के नियमित प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक तैयारियों के लिए भी आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में समिति यह पाती है कि यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में बीई आबंटन अनुमान से कम है, फिर भी 10,000 करोड़ रुपये की कमी होने से सेना की प्रचालनात्मक तैयारियों से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सेना को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक, आरई और आशोधित विनियोग चरणों में इसकी प्रचालनात्मक और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर पर्याप्त बजट प्रदान किया जाए।

सरकार का उत्तर

बजट प्राक्कलन 2022-23 में सेना के लिए राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 163713.69 करोड़ रूपये (अर्थात बजट प्राकक्लन 2021-22 की तुलना में 16069.56 करोड़ रुपये की वृद्धि) की राशि आबंटित की गई है । तथापि, समिति को आश्वस्त किया जा सकता है कि सेना द्वारा राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक/संशोधित प्राक्कलन/एमए स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, संक्रियात्मक कार्यकलापों के लिए आबंटित निधियों का इष्टतम रूप में उपयोग किया जाएगा । यदि आवश्यक है तो यह सुनिश्चित करने के लिए योजना को पुनः वरीयता दी जाएगी कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताएं, संक्रियाएं तैयारी के साथ बिना किसी समझौते के हासिल की जाती हैं ।

सिफारिश (पैरा संख्या 2)

समिति यह नोट करती है कि पूंजीगत बजट में मुख्यतः आधुनिकीकरण, बल स्तर में वृद्धि, अवसंरचना विकास आदि पर व्यय का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बीई में पूंजी शीर्ष के तहत, सेना का अनुमान 46,844.37 करोड़ रुपये था और आवंटन 32,115.26 करोड़ रुपये है। मांग की तुलना में आबंटन में 14,729.11 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। आरई 2021-22 में सेना का अनुमान 38,344.90 करोड़ रुपये था जिसकी तुलना में 25,377.09 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो कि मांग से 12967.81 करोड़ रुपये कम है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीन तिमाहियों अर्थात दिसंबर 2021 तक का खर्च सिर्फ 14,569.08 करोड़ रुपये था। समिति का विचार है कि इतने बड़े सीमा क्षेत्र और पड़ोसी देशों के मित्रवत न होने के कारण सेना की भौतिक रूप से तैनाती अनिवार्य है। साथ ही उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीन और मशीन का प्रयोग करने वाले सैनिक, दोनों साथ मिलकर ही युद्ध जीत सकते हैं। समिति की राय है कि सेना को उच्च मनोबल वाले सैनिकों के साथ साथ नवीनतम हथियार प्रणालियों की भी आवश्यकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि सेना को अगले बजट से पूंजी शीर्ष के तहत अनुमान के अनुसार आवंटन किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद के चरणों अर्थात अनुपूरक, आरई और आशोधित विनियोग चरण में आवश्यकता पड़ने पर सेना को पूंजीगत व्यय हेतु पर्याप्त बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि सेना चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आरई 2021-22 में आवंटित लगभग 11,000 करोड़ रुपये के शेष संसाधनों का उपयोग कर लेगी।

सरकार का उत्तर

इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सकारात्मक विचार के लिए सेनाओं द्वारा सेना सहित अनुमानित आवश्यकताएं प्रस्तुत की हैं । निधियों के आबंटन करते समय वित्त मंत्रालय सेनाओं की विगत समावेशन क्षमता, चालू वित्त वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध सभी संसाधन सीमा तथा अन्य तिमाहियों इत्यादि में दबावकारी मांगों का विश्लेषण करता है । वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित समग्र सीमाओं के आधार पर रक्षा मंत्रालय अंतर सेना प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लम्बित वचनबद्ध देयताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सेना सहित सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के संगठनों के लिए निधियों का आबंटन करता है ।

समिति को आश्वस्त किया जा सकता है कि सेना द्वारा पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक/संशोधित प्राक्कलन/एमए स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा संक्रियात्मक कार्यकलापों के लिए आवंटित निधियों का इष्टतम रूप में उपयोग किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को पुनः प्राथमिकता दी जाएगी ताकि संक्रियात्मक तैयारी के साथ बिना समझौते के तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताएं हासिल की जा सकें । संशोधित प्राक्कलन 2021-22 में 25,377.09 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में सेना ने पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत मार्च 2022 (पहले) के अनुसार 25130.63 करोड़ रुपये व्यय किया है अर्थात सेना द्वारा पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित निधियों का पूरा उपयोग किया गया है ।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड महामारी के कारण उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई थीं जिनके कारण निर्धारित आपूर्तियों में रुकावट आई थी जिससे वित्त वर्ष 2021-22 की प्रथम तीन तिमाहियों में व्यय की धीमी गति रही थी । तथापि, 31 मार्च, 2022 तक, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31.03.2022 (वित्त वर्ष 2021-22) की स्थिति के अनुसार सेना के लिए 20305 करोड़ रुपये के संशोधित विनियोग (एमए) आबंटन की तुलना में 20857 करोड़ रुपये है।

आधुनिकीकरण बजट

सिफारिश (पैरा संख्या 5)

समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजी अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत बीई चरण में सेना को 30,636.90 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इन आवंटनों की तुलना में (दिसंबर, 2021 तक) 11,760.68 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। आगे यह भी बताया गया कि व्यय की गति को ध्यान में रखते हुए

आधुनिकीकरण के 2021-22 में सेना को अतिरिक्त धन आवंटित नहीं किया गया था, और अभ्यर्पित निधि, यदि कोई हो तो, का वित्तीय वर्ष 2021-22 के आशोधित विनियोग को अंतिम रूप देते समय पता चल जाएगा। आरई चरण में विनियोग के बाद 19485.09 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। सेना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहले और दूसरे अनुपूरक चरण में किसी अतिरिक्त आवंटन की मांग नहीं की थी। समिति पाती है कि सेना की आधुनिकीकरण गतिविधियों पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया गया है। स्वदेशीकरण पर बल देने के कारण, जिसका पहले उल्लेख किया गया है, को ध्यान में रखते हुए समिति दोहराती है कि इस संबंध में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और जहां तक संभव हो ऐसी आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद की जानी चाहिए जो भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित हों । इस तरह के निर्णय वर्तमान खतरे की आशंकाओं पर आधारित होने चाहिए और इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । समिति ने आशा जताई है कि आधुनिकीकरण के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च की जाने वाली शेष धनराशि का इष्टतम और विवेकपूर्ण ढंग से पूर्ण उपयोग किया जाएगा । अंतिम समय में खर्च करने की जल्दबाजी में कोई फिजूलखर्ची न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए ।

सरकार का उत्तर

बजट प्राक्कलन 2022-23 में, सेना की कुल पूंजीगत अधिप्राप्ति का 76% अर्थात 19,690.73 करोड़ रुपए और बजट प्राक्कलन 2021-22 में 72% तक आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुसार घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति हेतु चिन्हित किया गया है । यदि आवश्यक हो, तो पुनः प्राथमिकता के द्वारा, रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से किसी प्रकार का समझौता किए बिना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अर्जन सुनिश्चित किया जाता है ।

पूंजीगत अर्जन (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत सेना को एमए 2021-22 में 20304.93 करोड़ रुपये के आवंटन के एवज में, मार्च (पूर्व) 2022 के अनुसार 20,231.11 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई ।

इसके अलावा, बजटीय आवंटनों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरों पर समय-समय पर व्यय की गई राशि की पुनरीक्षा की जाती है । वित्तीय स्वामित्व नियमों के अनुसरण और निधि के अधिक व्यय/अल्प उपयोग को दूर करने के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं । समिति को यह सूचित किया जाता है कि उपलब्ध स्रोतों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे)

सिफारिश (पैरा संख्या 6)

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित उत्तरों से समिति यह नोट करती है कि सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट/बॉडी आर्म/बॉडी प्रोटेक्टर के विनिर्माण के लिए निजी कंपनियों को उक्त रक्षा स्टोरों की स्वदेशी क्षमताओं के लिए लाइसेंस जारी कर रही है। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्तमान में निजी क्षेत्र में 21 कंपनियों को बुलेट प्रूफ जैकेट के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं और 07 कंपनियों नामतः मैसर्स अंजनी टेक्नोप्लास्ट, नोएडा, मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, मैसर्स इंडियन आर्मर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा, मैसर्स स्टार वायर इंडिया लिमिटेड, हरियाणा, मैसर्स भरिज फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब, मैसर्स एएंडटी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद और मैसर्स टाटा एडवांस्ड मैटेरियल लिमिटेड, बेंगलुरु ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड ने 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेटों (बीपीजे) की आपूर्ति करने के लिए एमओडी के एक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकारी क्षेत्र में ट्रूप्स कम्फर्ट लिमिटेड ने बुलेट रेसिस्टेंस जैकेट (बीआरजे) विकसित किए हैं और तमिलनाडु पुलिस को सफलतापूर्वक 172 बीआरजे के एक छोटे ऑर्डर की आपूर्ति की है। एक अन्य डीपीएसयू, मिधानी ने भी प्रयोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के बीआरजे का विनिर्माण शुरू कर दिया है और सुरक्षा और रक्षा बलों को इसकी आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, मिधानी ने भाभा कवच सहित बीआरजे का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक आधुनिक टाउनशिप (आईएमटी), रोहतक में एक कैप्टिव उत्पादन इकाई स्थापित की है। मौखिक साक्ष्य के दौरान, एक प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि बुलेटप्रूफ जैकेट में दो/तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं और विभिन्न परतों में से एक परत पॉलिमर डिजाइन की आवश्यक प्लेट होती है। हमारे देश में पॉलिमर की कतिपय परतें नहीं बनाई जा रही थी और उद्योग जो कुछ आयात कर रहे थे वे सभी हमारे देश में शत प्रतिशत अभिकल्पित, निर्मित और विनिर्मित किए जाते हैं। समिति को यह जानकर खुशी है कि लगातार कई वर्षों के इंतजार के बाद हमारे सैनिकों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा स्वदेशी रूप से निर्मित बीपीजे से होगी। समिति आशा करती है कि 1,86,138 बीपीजे की तत्काल खरीद की जाएगी और वर्ष के अंत तक शेष प्राधिकृत मात्रा का भी ऑर्डर दे दिया जाएगा।

सरकार का उत्तर

1,86,138 बुलेटप्रूफ जैकेटों की खरीद हेतु वर्ष 2018 में संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे और बुलेटप्रूफ जैकेटों की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति कर दी गई है ।

<u>जनशक्ति</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 7)

समिति यह नोट करती है कि अधिकारी संवर्ग में लगभग 15% स्टाफ की कमी है और यह कमी काफी समय से है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि अजय विक्रम सिंह समिति (एवीएससी) ने स्थायी संवर्ग और सहायता संवर्ग जो अधिकांशतः शॉर्ट सर्विस कमीशन है, के बीच 1.1:1 का अनुपात बनाए रखने का निर्णय लिया था । रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष यह भी बताया कि शकदर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार जनशक्ति के इष्टतमीकरण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। समिति यह सिफारिश करती है कि सेना की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक संवर्ग समीक्षा की जानी चाहिए अन्यथा जनशक्ति में कमी से जमीनी स्तर पर सेना की युद्धक क्षमताएं प्रभावित होंगी। समिति की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय इस संबंध में किए गए उपायों से अवगत होना चाहेगी ।

सरकार का उत्तर

भारतीय सेना के अधिकारी संवर्ग में लगभग 15 प्रतिशत की कमी है । भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी मुख्यतः अल्प सेवा कमीशन (एसएससी) और सेवारत भर्ती में शामिल सहायक संवर्ग की न्यूनतम साझेदारी के कारण हैं । इस बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है :-

(क) 'अल्प सेवा भर्ती को और अधिक आकर्षक' बनाने हेतु एक प्रस्ताव अग्रिम त्रि-सेना स्तर पर विचाराधीन है ।

(ख) "स्थायी कमीशन (विशेष सूची) संवर्ग की पुर्नसंरचना {पीसी(एसएल)}" का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में जांचाधीन है ।

उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित और कार्यान्वित हो जाने के बाद, भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी काफी हद तक दूर होने की संभावना है।

वायुसेना

सिफारिश (पैरा संख्या 8)

वर्ष 2022-23 के लिए वायुसेना हेतु मांग संख्या 19 और 20 की जांच करते हुए, समिति ने पाया कि राजस्व खंड में, वायुसेना ने 50,692.44 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया, जिसकी तुलना में 32,873.46 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 17818.98 करोड़ रुपये के अंतर से, यह स्पष्ट है कि आवंटन अनुमानों की तुलना में काफी कम है जो कि अनुमान का केवल दो-तिहाई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के माध्यम से, समिति ने पाया कि 2021-22 में, आरई स्तर पर वायुसेना को अंतिम आवंटन 34,283.02 करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर, 2021 तक किया गया व्यय 27,307.22 करोड़ रुपये था। समिति का मानना है कि गत वर्षों में वायुसेना द्वारा किया गया व्यय बहुत ही अनुकूल रहा है क्योंकि वित वर्ष की तीन तिमाहियों में तीन चौथाई से अधिक राशि व्यय की गई थी। गत प्रवृत्ति के आधार पर, समिति आरई स्तर पर वायुसेना संगठन के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटन की सिफारिश करती है। चूंकि सामान्य तौर पर राजस्व व्यय सेना की किसी भी समय परिचालनात्मक संबंधी तैयारियों को इंगित करता है, इसलिए उसमें अपर्याप्तता वांछनीय नहीं है।

सरकार का उत्तर

बजट प्राक्कलन 2022-23 में वायुसेना को राजस्व शीर्ष के तहत 32,873.46 करोड़ रुपए (अर्थात् बीई 2021-22 की तुलना में 2220.93 करोड़ रुपए की वृद्धि) की राशि आवंटित की गई । समिति को सूचित किया जाता है कि राजस्व शीर्ष के तहत वायुसेना द्वारा अनुपूरक/आरई स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, आवंटित निधि का आपरेशनल क्रियाकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा । यदि आवश्यक होता है तो, पुनः प्राथमिकता के द्वारा, रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से किसी प्रकार का समझौता किए बिना, आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अर्जन सुनिश्चित किया जाता है ।

वायु सेना हेतु बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 9)

पूंजीगत खंड के मामले में भी, समिति ने अनुमान और आवंटन में काफी अंतर पाया। बजट अनुमान 2022-23 में 85,322.60 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, जबकि केवल 56,851.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और लगभग 30,000 करोड़ रुपये का स्पष्ट

अंतर है। चूंकि पूंजीगत बजट मुख्य रूप से सेना के आधुनिकीकरण और संवर्द्धन पर व्यय को पूरा करता है, इसलिए आवंटन में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमान की कमी ध्यान देने योग्य है। डीएफजी की चर्चा के दौरान, वायुसेना के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि विद्यमान लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति का विचार है कि वर्तमान प्लेटफार्मो का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों की खरीद भी समय की मांग है। दो मोर्चों पर खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए, वायु शक्ति में वृद्धि सर्वोपरि है। वायुसेना की खरीद बड़े पैमाने पर गहन पूंजी आधारित होने के कारण, समिति आरई या अनुपूरक अनुदान स्तर पर पूंजी शीर्ष के तहत वायुसेना को अतिरिक्त आवंटन की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

बीई 2022-23 में वायु सेना को पूंजीगत शीर्ष के तहत 56851.55 करोड़ रुपए (अर्थात् आरई 2021-22 की तुलना में 10830.01 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई) की राशि आवंटित की गई । तथापि, समिति को सूचित किया जाता है कि राजस्व शीर्ष के तहत वायु सेना द्वारा अनुपूरक/आरई स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, आवंटित निधि का आपरेशनल क्रियाकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा । यदि आवश्यक होता है तो, पुनः प्राथमिकता के द्वारा, रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से किसी प्रकार का समझौता किए बिना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अर्जन सुनिश्चित किया जाता है ।

सिफारिश (पैरा संख्या 10)

जहां तक स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से पूंजी अधिग्रहण की बात है, समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, घरेलू अधिग्रहण के लिए कुल आवंटन 29,684 करोड़ रुपये था, जिसमें से 21,631 करोड़ रुपये अर्थात 72.87 प्रतिशत खर्च किए गए। मार्च, 2022 तक लगभग 27 प्रतिशत राशि खर्च की जानी बाकी है। समिति चाहती है कि शेष राशि का स्वदेशी खरीद के लिए इष्टतम और पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति को सूचित किया गया था कि वर्ष 2022-23 के लिए, घरेलू और विदेशी खरीद आवंटन क्रमशः 62.34 प्रतिशत और 37.66 प्रतिशत है। समिति इस बात की सराहना करती है कि वायुसेना द्वारा स्वदेशी खरीद पर विशेष जोर दिया जाता है। समिति चाहती है कि वायुसेना स्वदेशी खरीद के लिए निरंतर प्रयास करे ताकि आत्म-निर्भरता वायुसेना का उद्देश्य बना रहे।

सरकार का उत्तर

दिनांक 31 मार्च, 2022 को पूंजीगत अधिग्रहण बजट के घरेलू खण्ड के तहत 29762.50 करोड़ रुपए के चिह्नित आवंटन के मुकाबले 29,941.37 करोड़ रुपए (100.60%) का व्यय किया गया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू अधिग्रहण शीर्ष के तहत 32,882.30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था जो कि बजट प्राक्कलन विवरण (एसबीई) आवंटन का 62.34% है ।

<u>बल स्तर</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 11)

समिति की सुविचारित राय है कि वायुसेना के पास दो मोर्चों पर प्रतिरोधक क्षमताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि भारत की दोनो सीमाओं पर खतरा एक वास्तविकता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारी सशस्त्र सेनाओं को सभी संभावित युद्ध क्षमताओं से लैस करना समय की मांग है। वायुसेना की मारक क्षमता उसकी किटी में लड़ाकू स्क्वाड्रनों के अनुपात में है। साक्ष्य के दौरान, वायुसेना के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि स्क्वाड्रन की वर्तमान अधिकृत संख्या 42 है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि विद्यमान अधिकांश स्क्वाड्रन की कुल तकनीकी आयु समाप्त हो रही है और परिणामस्वरूप स्क्वाड्रन की शक्ति उत्तरोत्तर घट रही है। समिति को अवगत कराया गया कि एलसीए मार्क-1 और एमआरएफए उक्त कमी को दूर करने (ड्रॉ-डाउन) में सहायक होंगे। समिति इन विमानों की समयबद्ध खरीद पर जोर देती है, ताकि वायुसेना के स्क्वाड्रन की पूर्ति की जा सके। समिति यह भी आग्रह करती है कि वायुसेना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निकट भविष्य में नए विमानों की खरीद की जाए ताकि सेना की लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। समिति का विचार है कि लड़ाकू स्क्वाड्रन की शक्ति को केवल विमानों की संख्या पर नहीं बल्कि उनकी हथियार ले जाने की क्षमता, घातकता और उड़ान भरने और मारक क्षमता के आधार पर गणना की जाती है। इसलिए वायसेना में फाइटरजेट्स को शामिल करते समय गोलाबारी करने की शक्ति (फायर पावर) और प्रौद्योगिकी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

सेना की युद्धक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विमान की अधिप्राप्ति द्वारा प्राधिकृत स्क्वाड्रन संख्या को बनाए रखने के लिए सरकार सतत रूप से प्रयास कर रही है । इस बारे में, 25 जनवरी, 2021 को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) के साथ 83 हल्के युद्धक

विमान (एलसीए) एमके-1ए की सुपुर्दगी वर्ष 2024 को सुनिश्चित करते हुए, संविदा हस्ताक्षरित की गई थी । हाल ही में 30.3.2022 को, एचएएल के साथ 15 हल्के युद्धक हेलिकॉप्टरों (सीमित श्रृंखला उत्पादन) (भारतीय वायुसेना हेतु 10 और भारतीय सेना के लिए 05) की संविदा पर हस्ताक्षर किए गए जिसकी सुपुर्दगी मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को विस्तारित करने के लिए राफेल को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, एलसीए एमके-2 और उन्नत मध्यम युद्धक विमान (एएमसीए) को स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और विकसित किया जा रहा है जिसमें से एलसीए एमके-2 को निकट भविष्य में शामिल किए जाने की संभावना है।

भारतीय नौसेना

सिफारिश (पैरा संख्या 17)

भारतीय नौसेना राष्ट्रीय रक्षा का कठिन कार्य करती है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में कई सुरक्षा चुनौतियां हैं और लगभग 1,70,000 जहाज विभिन्न चोक बिंदुओं से होकर गुजरते हैं और लगभग 13,000 जहाज किसी भी समय में हिंद महासागर क्षेत्र होते हैं । वर्ष 2022-23 के लिए नौसेना की अनुदान की मांगों की जांच पर समिति ने पाया कि पूंजी शीर्ष के तहत बीई में नौसेना ने अपने वार्षिक व्यय के रूप में 67,622.96 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। इस अनुमान की तुलना में, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने वास्तव में 47,590.99 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिससे 20,031.97 करोड़ रुपए का अंतर आया । समिति का यह विचार है कि आधुनिक युद्ध के लिए आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नई प्रौद्योगिकियां पारंपरिक युद्ध अभ्यासों को प्रतिस्थापित कर रही हैं। इसलिए, पूंजीगत वित्तपोषण यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि नौसेना एक निर्बाध आधुनिकीकरण अभियान शुरू करे ।

सरकार का उत्तर

बजट प्राक्कलन 2022-23 में, नौसेना को पूंजी शीर्ष के तहत 47,590.99 करोड़ रुपये (अर्थात बजट प्राक्कलन 2021-22 की तुलना में 14,337.44 करोड़ रुपये की वृद्धि) की राशि आवंटित की गई है। संयोग से, नौसेना के बजट में पूंजी शीर्ष के अंतर्गत बजट प्राक्कलन 2021-22 के आवंटन की तुलना में बजट प्राक्कलन 2022-23 में निरपेक्ष और प्रतिशत दोनो ही संदर्भ में बढोतरी हुई है। तथापि, समिति को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि पूंजी शीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक/संशोधित प्राक्कलन चरण में नौसेना द्वारा अनुमानित अतिरिक्त निधियों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, आबंटित निधियों का प्रचालनात्मक

कार्यकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को फिर से प्राथमिकता दी जाएगी कि आधुनिकीकरण अभियान के लिए किसी भी समझौते के बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं का अधिग्रहण किया जाए।

भारतीय नौसेना का बजटीय प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 18)

समिति यह पाती है कि राजस्व क्षेत्र नौसेना ने बीई 2022-23 में 34701.66 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था, हालांकि, इसे केवल 25406.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान की तुलना में 9295.24 करोड़ रुपए कम आवंटित किए गए । साक्ष्य के दौरान, नौसेना के प्रतिनिधियों ने कहा कि कमी को युक्तिसंगत बनाकर और प्राथमिकता निर्धारित कर कम किया जाता है । समिति का मानना है कि राजस्व बजट का उपयोग नौसेना के प्रचालन, प्रशिक्षण, अनुरक्षण, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए किया जाता है, जो नौसेना की 'तैयारी' के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस शीर्ष में अपर्याप्तता से दुर्घटनाएं और जनहानि हो सकती हैं, इसके अलावा, राजस्व बजट में वृद्धि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को लिए भी उत्तरदायी है। समिति का विचार है कि 9295.24 करोड़ रुपए की कमी से दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर असर पड़ सकता है और इसलिए कभी भी नौसेना की प्रचालनीयता प्रभावित हो सकती है । इसलिए समिति का विचार है कि राजस्व शीर्ष के तहत आवश्यक निधियों के लिए नौसेना की आवश्यकताओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि परिचालन तैयारी प्रभावित न हो ।

सरकार का उत्तर

राजस्व खंड के अंतर्गत नौसेना को पर्याप्त बजटीय आबंटन की आवश्यकता को आवधिक समीक्षा चरणों में रेखांकित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नौसेना की प्रचालनात्मक तैयारी प्रभावित न हो। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए अनुमानों और व्यय के आधार पर, वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित प्राक्कलन और एमए चरणों में अतिरिक्त निधियां आबंटित की गई थीं।

सिफारिश (पैरा संख्या 19)

अनुमान और आवंटन के अलावा, बजट का एक और पहलू व्यय है। इस पहलू पर, समिति ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि राजस्व शीर्ष के मामले में, 2021-22 में, बी.ई. में नौसेना द्वारा किया गया अनुमान 70,920.78 करोड़ रुपए था, आरई चरण में अंतिम

आवंटन 46,021.54 करोड़ रुपए था और **3** तिमाही के अंत तक यानी दिसंबर, 2021 तक किया गया खर्च 29,616.00 करोड़ रुपए था । समिति यह समझने में विफल रही कि जब वास्तविक व्यय बहुत कम था, तो नौसेना ने बीई स्तर पर 70,920.78 करोड़ रुपए का एक बड़ा अनुमान क्यों लगाया। समिति का विचार है कि राजस्व व्यय का काफी हद तक समय से पहले यर्थाथवादी अनुमान लगाया जा सकता है ताकि अनुमानित और वास्तविक खर्च व्यापक अंतर न हो । समिति का आग्रह है कि नौसेना विवेकपूर्ण ढंग से अपने अनुमान लगाएगी और वैकल्पिक रूप से अपने संसाधनों के आवंटन का उपयोगी करेगी । साक्ष्य के दौरान रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि नौसेना ने अपने व्यय को तर्कसंगत बनाकर कम आवंटन के साथ प्रबंधन किया और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई ताकि परिहार्य खर्चों को कम किया जा सके । यह भी कहा गया कि नौसेना शेष राशि का उपयोग अगले डेढ़ महीनों में करेगी । समिति ने उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी की है कि नौसेना बजट बनाते समय अधिक तर्कसंगत अनुमान प्रस्तुत करेगी, अन्यथा विकट अनुमान लगाने से बहुत कम राशि उपलब्ध होगी ।

सरकार का उत्तर

पूंजीगत बजट के अंतर्गत भारतीय नौसेना के प्रत्येक संविदा प्रचालन प्राधिकरण के परामर्श से किए गए अनुमान सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम हैं, जिसमें संविदा समापन के उन्नत चरणों में प्रतिबद्ध देयताओं और नई स्कीमों के प्रति व्यय का यथोचित संज्ञान है। बजट प्राक्कलन 21-22 अनुमान सितंबर, 2020 में तत्कालीन प्रतिबद्ध दायित्वों और परकल्पित नई योजनाओं के आधार पर किए गए थे । तत्पश्चात्, जनवरी/मार्च 2021 में संशोधित प्राक्कलन/एमए 2020-21 चरणों में भारतीय नौसेना को 15,359.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन किया गया था और बजट प्राक्कलन 2022-23 के लिए बजटीय आवश्यकताओं को घटाकर 62,689.89 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसके बावजूद, भारतीय नौसेना ने दिसम्बर 2021 के अंत तक 29,616.00 करोड़ रुपए का व्यय किया, जो आधुनिकीकरण खंड के तहत 31031.02 करोड़ रुपये के बजट प्राक्कलन 2021-22 आवंटन का 95.50% था, जिसके परिणामस्वरूप कतिपय लघु शीर्षों के तहत निधियां समाप्त हो गई। जनवरी, 2022 (43,736.02 करोड़ रुपये का कुल आवंटन) में 12,705.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया था और वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक सभी निधियों का उपयोग किया जा चुका है।

स्वदेशीकरण

सिफारिश (पैरा संख्या 20)

डीएफजी की जांच के दौरान, समिति को स्वदेशीकरण की दिशा में नौसेना द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पता चला । नौसेना के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में निर्माणाधीन 39 जहाजों और पनडुब्बियों में से 37 का निर्माण देश के भीतर विभिन्न शिपयार्डों में किया जा रहा है, और 41 और जहाजों का निर्माण देश के भीतर किए जाने की योजना है । समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि देश में नौसेना के जहाजों का विनिर्माण काफी हद तक किया जा रहा है। हालांकि, वह इस बात पर जोर देना चाहती हैं कि जहाजों के निर्माण के दौरान हथियार प्रणालियों और सेंसर सहित जहाजों की लड़ाकू क्षमताओं पर अधिक जोर दिया जाएगा । समिति यह जानकर प्रसन्न है कि नौसेना ने अपनी हथियार और सेंसर प्रणालियों की आवश्यकताओं को फिक्की और सीआईआई सहित निजी भारतीय उद्योगों के साथ साझा किया था, इस प्रकार आयात के बजाय घरेलू उद्योगों के माध्यम से स्वदेशीकरण को प्राथमिकता मिल रही है । समिति आशा व्यक्त करती है कि निजी क्षेत्र की मदद से, नौसेना विभिन्न आधुनिक अत्याधुनिक प्रणालियों को प्राप्त करने में सक्षम होगी, जो देश की समुद्री सीमा को रक्षा के लिए केवल कुछ विकसित देशों के लिए उपलब्ध थीं । समिति पुरजोर यह सिफारिश करती है कि नौसेना की रक्षा क्षमताओं और वैज्ञानिक रोडमैप को साझा करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाए ताकि शत्रु राष्ट्रीय समुद्री हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह से इसका उपयोग न कर सके ।

सरकार का उत्तर

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, नौसेना की रक्षा क्षमताओं और वैज्ञानिक रोडमैप को साझा करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है, ताकि विरोधियों को राष्ट्रीय समुद्री हितों की हानि के लिए किसी भी तरह से उन तक पहुंच प्राप्त करने से रोका जा सके।

भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण बजट

सिफारिश (पैरा संख्या 21)

समिति यह नोट करके चिंतित है कि आधुनिकीकरण बजट में काफी कम खर्च किया गया है । इस संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कतिपय संविदाएं लंबित हैं और शेष राशि का उपयोग इसके लिए किया जाएगा । यह भी बताया गया था कि कोविड के कारण इस तरह के अनुबंधों में देरी हुई थी, समिति चालू वित्त वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए नौसेना द्वारा शेष संसाधनों के विवेकपूर्ण और इष्टतम उपयोग की सिफारिश करती है ताकि

वित्तीय वर्ष के अंत में कोई अतिशेष न रह जाए । समिति यह समझती है कि नौसेना की कई आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाएं एलटीटीआईपीपी 2012-27 के अनुरूप पाइपलाइन में हैं । समिति यह आशा करती है कि नवीनतम मानव रहित प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों पर आधारित नए वैज्ञानिक रोडमैप के साथ, नौसेना लगातार इस आधुनिकीकरण अभियान को आगे बढ़ाएगी । समिति आशा व्यक्त करती हैं कि नौसेना परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान जारी रखे जाएंगे ।

सरकार का उत्तर

भारतीय नौसेना (आईएन) ने पिछले दो वित्तीय वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में आधुनिकीकरण खंड के तहत आबंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया है जिसमें संशोधित प्राक्कलन/एमए चरणों में अतिरिक्त आबंटन शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले आधुनिकीकरण खंड के अंतर्गत भारतीय नौसेना को बढ़े हुए आबंटन ने भारतीय नौसेना की उच्च प्रतिबद्ध देयताओं को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे एलटीआईपीपी 2012-27 के अनुरूप नई योजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त निधियां सृजित की जाएं।

<u>बल स्तर</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 23)

समिति ने यह पाया कि कई जहाज, पनडुब्बियां, विमान आदि नौसेना द्वारा विनिर्माण/अधिग्रहण की प्रक्रिया में हैं। एओएन को 43 जहाजों और 111 नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टरों को स्वदेशी रूप से बनाए जाने का कार्य सौंपा गया है और छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आरएफपी भी जारी किया गया है। नौसेना द्वारा डोर्नियर और चेतक सहित 36 विमानों की डिलीवरी के लिए भी अनुबंध पूरा कर लिया गया और 2022 से 24 एमआरएच की डिलीवरी भी की जानी निर्धारित की गई है। 10 नौसेना पोत जनित मानवरहित हवाई प्रणालियों की खरीद का मामला भी संविदा निष्कर्ष चरण में है और एओएन प्राप्त करने के लिए 10 एचएएलईआरपीए पर कार्य किया जा रहा है। समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि सभी प्रापण संविदात्मक समय-सीमा के भीतर कर लिए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनावश्यक विलंब न हो, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान न हो।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिशों को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

<u>श्रमशक्ति</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 24)

समिति ने पाया कि नौसना में अधिकारियों की स्वीकृत संख्या (चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों को छोड़कर) 11726 है जबकि वास्तविक संख्या 10169 है जिससे 1557 कार्मिकों की कमी हो गई है, इस संबंध में नौसेना के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि नौसेना लगातार भर्ती कर रही है और उन्हें शामिल कर ही है ताकि कमी को उत्तरोत्तर कम किया जा सके। नाविकों के मामले में, स्वीकृत संख्या 75409 थी, जबकि तैनात संख्या 63700 थी। समिति ने आगे नोट किया कि 15.53% की कमी हो गई है। समिति को अवगत कराया गया कि 'संयुक्त भारतीय नौसेना' और 'अवसरों का महासागर जैसे प्रकाशनों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है और उल्लेखनीय रूप से अच्छी प्रतिक्रिया रही है और जैसे-जैसे नए प्लेटफार्म चालू हो जाएंगे, रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। नौसेना में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को नवीनतम तकनीकी विकास के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उन्नयन और जनशक्ति की कमियों को दूर करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

1. **<u>तकनीकी विकास पर आधारित प्रशिक्षण</u>** - भारतीय नौसेना (आईएन) प्रशिक्षण का उद्देश्य सेवा में आधुनिक प्लेटफार्मों के संचालन के लिए वांछित लड़ाकू मानकों को पूरा करने के लिए कौशल प्राप्त करना और बनाए रखना है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नई हथियार/संवेदक प्रणालियों को शामिल करने के आधार पर प्रशिक्षण की आवधिक समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय नौसेना ने प्रशिक्षण के लिए तकनीकी विकास और जनशक्ति की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में कतिपय उपायों को अपनाया है। प्रमुख उपायों को नीचे चिन्हांकित किया गया है :-

(क) **<u>प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संशोधन</u>** - भारतीय नौसेना के पास आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के उन्नयन के लिए एक मजबूत तंत्र है। यह प्रणाली प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और जहाजों/यूनिटों से प्राप्त 360 डिग्री फीडबैक पर आधारित है। प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीकों में प्रगति के साथ, भारतीय नौसेना में कार्मिक शक्ति को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं के समान प्रशिक्षित किया जाता है।

(ख) **<u>नौसेना का तकनीकीकरण</u>** **-** भारतीय नौसेना ने पिछले एक दशक में 'हर अधिकारी बी टेक धारी' के उद्देश्य को आगे बढ़ाया है। यह आधुनिक प्रोद्योगिकी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना के तकनीकीकरण को सक्षम बनाने के लिए हैं। भारतीय नौसेना में सभी अधिकारियों के लिए बुनियादी शैक्षणिक योग्यता के रूप में बी टेक होना एक प्रमुख पहल थी और इसे भारतीय नौसेना अकादमी में 2009 में तथा एनडीए में 2016 में शुरू किया गया था।

(ग) **<u>सिम्युलेटर का उपयोग/कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण</u>** - प्रौद्योगिकी में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक और परिष्कृत प्रशिक्षण उपकरणों जो उपस्करों के लघु कामकाजी मॉडल हैं, को नौसेना में शामिल किया जा रहा है। जहाजों, पनडुब्बियों और विमानन प्रणालियों के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक सिम्युलेटर स्थापित किए गए हैं।

(घ) **<u>उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण</u>** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि पर भारत सरकार के ध्यान केन्द्रित करने के अनुरूप, भारतीय नौसेना ने विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठाए हैं। अन्य प्रौद्योगिकी जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स (बीडीए), मशीन लर्निंग (एमएल), ऑपरेशनल रिसर्च (ओआर) आदि को भी उचित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से कार्मिकों को इस विषय में प्रशिक्षित किया जा रहा है। दुर्लभ संसाधनों के आवंटन, नए उपस्करों और प्रक्रियाओं के चयन, आवश्यक मिशनों को प्राप्त करने के लिए दिए गए संसाधनों की इष्टतम उपभोग के संबंध में सैन्य निर्णय लेने में कौशल और विशेषज्ञता के साथ भारतीय नौसेना कार्मिकों को दक्ष करने हेतु विशेष प्रशिक्षण के लिए आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाएं ली जा रही हैं।

2. **<u>श्रमशक्ति में कमियों को दूर करना</u>** - नए प्लेटफार्मों/सहायक अवसंरचनाओं को शामिल करने से विगत वर्षों में प्रशिक्षण की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जो श्रमशक्ति में वृद्धि के साथ मेल नहीं खाती है। रिक्तियों को भरने और युवाओं को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कई उपाय किए गए हैं जैसे ऑडियो, विजुअल, प्रिंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया में बेहतर छवि प्रक्षेपण/प्रचार पर अधिक जोर, कैरियर मेलों, प्रदर्शनियों, स्कूलों और कॉलेजों में प्रेरक व्याख्यान, कंप्यूटर-आधारित ऑनलाइन आवेदन भरने वाली परीक्षा का आयोजन आदि ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(क) **<u>भारतीय नौसेना की वेबसाइट</u>** - वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in को बेहतर कार्यक्षमता, लुक और फील के साथ-साथ इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और

आकर्षक बनाने के लिए अधिक क्षमता के साथ नया रूप दिया गया है। इससे सभी अधिकारियों और नौसैनिकों की प्रविष्टियों के लिए भर्ती प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन और आवेदनों के ऑनलाइन (कागज रहित) प्रसंस्करण की सुविधा हुई है।

(ख) <u>स्कूलों / कॉलेजों का दौरा</u> भारतीय नौसेना के अधिकारी जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों विशेष रूप से उनके मातृ संस्थान का दौरा करते हैं ।

(ग) <u>सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन</u> - डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने देश भर में सभी पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए हैं। देश भर में सीएससी उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वीडियो, आवाज और डेटा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पत्र जमा करने सहित वेब सक्षम ई-गवर्नेंस सेवाएं भी प्रदान करते हैं। भारतीय नौसेना ने दिनांक 27 नवम्बर 17 को सीएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया है। ऐसा करके, नौसेना ने सीएससी के माध्यम से देश के सभी कोनों में अपनी भर्ती की पहुंच बढ़ा दी है। मामूली सेवा शुल्क के भुगतान के साथ आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन भरने और जमा करने के लिए किसी भी सीएससी की सहायता ले सकते हैं । यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों के साथ-साथ कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधारहित आवेदकों के लिए अत्यधिक लाभदायक है।

(घ) <u>एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन</u> - सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को संभावित रूप से स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दे दी है। मौजूदा नीति के अनुसार, सभी लागू शाखाओं/संवर्गों/ विशेषज्ञों में रिक्तियों, योग्यता और इच्छा के अध्यधीन स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए एसएससी अधिकारियों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) **<u>सैनिक स्कूल / राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) -</u>** युवा छात्रों को पसंदीदा करियर विकल्प के रूप में नौसेना चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न सैनिक स्कूलों और आरआईएमसी में नौसेना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

(च) <u>एनसीसी कैडेटों को शामिल करना</u> - देश के युवाओं के लिए नौसैनिक कैरियर को आकर्षक बनाने के लिए, आईएन एनसीसी कैडेटों को नौसेना में अधिकारियों और नौसैनिकों के रूप में शामिल होने के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान करता है: -

(i) <u>अधिकारियों की भर्ती</u> - स्नातक कैडेट विशेष प्रवेश योजना (जीएसईएस) की 90 वार्षिक रिक्तियों में से कुल 12 रिक्तियां एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इन उम्मीदवारों को संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है।

(ii) <u>नौसैनिकों की भर्ती</u> - एनसीसी उम्मीदवारों को अतिरिक्त क्रेडिट अंक दिए जाते हैं जो मेरिट की तैयारी के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाते हैं। एनसीसी 'सी', एनसीसी 'बी' और एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र धारकों को क्रमशः 6, 4 और 2 अंक का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाता है।

(छ) <u>एनसीसी विशेष भर्ती योजना का दायरा बढ़ाना -</u> बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेटों को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों के लिए अतिरिक्त प्रावधान मई 2021 से शुरू किए गए हैं। विवरण इस प्रकार हैं: -

(i) <u>केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए</u> - एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक एक्स (जीएस), हाइड्रो, ई (जीएस), ई (एई), एल (जीएस), एल (एई) शाखाओं में सीधी भर्ती एसएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ii) <u>पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए</u> - एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक पुरुष और महिला उम्मीदवार एटीसी, ऑब्जर्वर, लॉजिस्टिक्स, आईटी, एनएआईसी, पायलट, स्पोर्ट्स, एनए, कानून, म्यूजिशियन और एजुकेशन शाखा में सीधी भर्ती एसएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(iii) सीनियर डिवीजन आर्मी और एयर विंग एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक भी मौजूदा नौसेना विंग 'सी' प्रमाणपत्र धारकों के अलावा सीधी भर्ती एसएससी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय छूट का लाभ उठा सकते हैं।

(ज) <u>उम्मीदवार अनुकूल भर्ती प्रक्रिया</u> - युवा 'तकनीक-में निपुण' पीढ़ी से जुड़ने के लिए, भारतीय नौसेना की भर्ती वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करने और ईमेल पर कॉल लेटर्स को अग्रेषित करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, प्रवेश पत्र, परिणाम और मेरिट सूची तक ऑनलाइन पहुंच भी शुरू की गई है। नौसेना भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और उम्मीदवार अनुकूल के रूप में पेश करते हुए इस सुविधा ने समयसीमा को कम कर दिया है और उम्मीदवार की संतुष्टि में वृद्धि की है।

(झ) <u>महिला अधिकारी</u> - महिलाओं को नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारी के रूप में कार्यकारी {आबजर्बर, पायलट, आईटी, नौसेना आयुध निरीक्षणालय संवर्ग, हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी), कानून, लॉजिस्टिक्स, खेल, संगीतकार और प्रोवोस्ट (सेवारत) शिक्षण शाखा और अभियांत्रिकी शाखा के नौसेना आर्किटेक्चर स्पेशलाइजेशन में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा, कैडेट के रूप में 12वीं के बाद एनडीए के माध्यम से महिलाओं का प्रवेश जून 2022 से शुरू होने वाले एनडीए बैच से शुरू होगा।

(ञ) <u>आईएनए और एनडीए में बी टेक डिग्री</u> - वर्षों के दौरान भारतीय नौसेना तकनीकी रूप से परिष्कृत सेवा के रूप में विकसित हुई है। उच्च तकनीकी वातावरण में काम करने के लिए नौसेना कर्मियों के तकनीकी ज्ञान और कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए, 2009 में भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में अधिकारियों के लिए बी टेक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। जुलाई 2016 से एनडीए में कैडेटों के लिए बी टेक पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। आईएनए में चार साल के प्रशिक्षण पूरा होने पर 10+2 कैडेटों को बी टेक की डिग्री के प्रदान करने से भी युवाओं को आकर्षित करने में मदद मिली है।

(ट) **<u>विविध क्रियाएं</u> -** नौसेना हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह को नौसेना सप्ताह के रूप में मनाती है। इस अवसर का उद्देश्य हमारे देश की जनता से जुड़ना हैं। इसके तहत निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं:-

(i) पोतों और संस्थानों को आम जनता के लिए खुला रखा जाता है ताकि उन्हें नौसैनिक जहाजों और इकाइयों में जीवन के बारे में जानकारी मिल सके।
(ii) कैरियर के अवसरों के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूल/कॉलेज के छात्रों के दौरे नौसेना के पोतों पर आयोजित किए जाते हैं।
(iii) नौसेना के पोतों के दौरे देश के लघु और मध्यम बंदरगाहों पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि वो इनको देख सकें जिन्हें यह अवसर अन्यथा नहीं मिल पाता।
(iv) नौसेना के बारे में जानकारी देने और समाज सेवा प्रदान करने के लिए दूरस्थ स्थानों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं।

(ठ) **<u>छवि प्रक्षेपण अभियान (आईपीसी)</u> -** भारतीय नौसेना आईपीसी का कार्य करती रही है जिसकी प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में समीक्षा की जाती है और उसे परिष्कृत किया

जाता है। युवाओं तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए और इस तरह युवाओं को नौसेना को करियर विकल्प के रूप में चुनने हेतु प्रेरित करने के लिए, विभिन्न संचार माध्यमों जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल सिनेमा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल गेम्स आदि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ी है जो अधिकारियों/नौसैनिकों के रूप में रोजगार विकल्पों के प्रति रूझान वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति से स्पष्ट है।

(ड) **<u>भर्ती प्रचार</u>** भारतीय नौसेना में विभिन्न पदों और रोजगारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रचार कार्य किए जा रहे हैं: -

(i) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन।
(ii) इंटरनेट पर जॉब पोर्टल्स पर विज्ञापन।
(ii) त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के साथ लोकप्रिय पत्रिकाओं / पत्रों में भी विज्ञापन दिए जा रहे हैं।

<u>संयुक्त स्टाफ</u>

<u>बजट</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 25)

समिति नोट करती है कि 2022-23 के बजट अनुमानों में, संयुक्त स्टाफ ने 5473.28 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है जिसकी तुलना में 4462.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिससे 1010.93 करोड़ की कमी हुई है। संयुक्त स्टाफ की लगातार बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों जिसका उद्देश्य हमारी रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण करना है, को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि संयुक्त स्टाफ को पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि संगठन के कार्यकरण संबंधी आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके। चूंकि लगभग 20 प्रतिशत की कमी से सुविचारित लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि संयुक्त स्टाफ को वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान (आरई) या अनुपूरक बजट स्तर पर अपेक्षित बजटीय आवंटन प्रदान किया जाए।

सरकार का उत्तर

बजट आकलन 2022-23 में, संयुक्त स्टाफ को राजस्व और पूंजी शीर्ष दोनों सहित 4,462.35 करोड़ रुपये (यानी संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में 316.09 करोड़ रुपये

की वृद्धि) की राशि आवंटित की गई है। तथापि, समिति को आश्वासन दिया जाता है कि अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण में संयुक्त स्टाफ द्वारा प्रक्षेपित अतिरिक्त निधियों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, आबंटित निधियों का प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्राथमिकता दी जाएगी कि तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं को उनके प्रचालनात्मक तैयारियों में किसी भी प्रकार के समझौते किए बिना अधिग्रहीत किया जाए।

सिफारिश (पैरा संख्या 26)

समिति का दृढ़ मत है कि 2022-23 के दौरान बजटीय अनुमान स्तर पर 4462.35 करोड़ रुपये का आवंटन 2021-22 हेतु बजट अनुमान आवंटन से कम है जो कि 4543.04 करोड़ रुपये था। साक्ष्य के दौरान, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति की चिंताओं का उत्तर देते हुए कहा कि गत वर्ष के दौरान थोड़ा कम व्यय हुआ था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जैसे-जैसे व्यय बढ़ता है, किसी भी प्रकार की बजटीय आवश्यकता को संशोधित अनुमान स्तर/अनुपूरक स्तर पर अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस समय समिति केवल यह सिफारिश कर सकती है कि मंत्रालय को इस मुददे को वित्त मंत्रालय के समक्ष सही ढंग से उठाना चाहिए ताकि संयुक्त स्टाफ की सभी आवश्यक कार्यात्मक आवश्यकताओं/गतिविधियों को यथोचित रूप से पूरा किया जा सके और उनके साथ वित्तीय सहायता की कमी के कारण समझौता न किया जाए।

सरकार का उत्तर

यह मंत्रालय संयुक्त स्टाफ सहित सेवाओं द्वारा प्रक्षेपित अपेक्षाओं को अनुकूल विचारार्थ वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय के साथ बजट-पूर्व बैठक में हुई चर्चाओं में सेवाओं द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के व्यापक कारणों को समर्थित/विस्तृत किया जाता है। निधियों का आबंटन करते समय, वित्त मंत्रालय सेवाओं की पिछली अवशोषण क्षमता, चालू वित्त वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध समग्र संसाधन और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त अत्यावश्यक मांगों आदि का विश्लेषण करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित समग्र सीमाओं के आधार पर, रक्षा मंत्रालय अंतर-सेवा प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लंबित प्रतिबद्ध दायित्वों आदि को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के तहत सेवाओं और संगठनों के बीच निधियां आवंटित करता है।

2. तथापि, समिति को आश्वासन दिया जाता है कि अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण में संयुक्त स्टाफ द्वारा प्रक्षेपित अतिरिक्त निधियों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, आबंटित निधियों का कार्यात्मक आवश्यकताओं/कार्यकलापों के लिए

इष्टतम उपयोग किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्राथमिकता दी जाएगी कि तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं को उनके प्रचालनात्मक तैयारियों में किसी भी प्रकार के समझौते किए बिना अधिग्रहीत किया जाए।

सिफारिश (पैरा संख्या 27)

समिति आगे नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संयुक्त स्टाफ को 6251.11 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की तुलना में बजट अनुमान स्तर पर 4543.04 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। बाद में, आरई स्तर पर, 4146.26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। यह देखा जा सकता है कि आरई में आवंटन उक्त वर्ष के बीई आवंटन से 396.78 करोड़ रुपये कम है। समिति का यह दृढ़ मत है कि एक बार वार्षिक व्यय की योजना और निर्धारण हो जाने के पश्चात, संगठन के लिए निधियों के कम आवंटन के साथ अपने व्यय को पूरा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को संबंधित मंत्रालय पर जोर देना चाहिए कि बीई के दौरान निर्धारित किए गए आवंटन को आरई स्तर में कम नहीं किया जाए। अन्यथा, यह संगठन की बजटीय प्रक्रिया में तदर्थवाद को बढ़ावा देगा जिससे सेनाओं की समग्र तैयारी प्रभावित होगी।

सरकार का उत्तर

संशोधित अनुमान 2021-22 में, संयुक्त स्टाफ को वित्त मंत्रालय से प्राप्त सीमा और वर्ष के दौरान व्यय की गति के आधार पर 4,146.26 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। हालांकि, बजट अनुमान 2022-23 में, संयुक्त स्टाफ को 4,462.35 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है (यानी संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में 316.09 करोड़ रुपये की वृद्धि)।

2. यह मंत्रालय संयुक्त स्टाफ सहित सेवाओं द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के अनुकूल विचारार्थ वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय के साथ बजट-पूर्व बैठक में हुई चर्चाओं में सेवाओं द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के व्यापक कारणों को समर्थित/विस्तृत किया जाता है। निधियों का आबंटन करते समय, वित्त मंत्रालय सेवाओं की पिछली अवशोषण क्षमता, चालू वित्त वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध समग्र संसाधन और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त अत्यावश्यक मांगों आदि का विश्लेषण करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित समग्र सीमाओं के आधार पर, रक्षा मंत्रालय अंतर-सेवा प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लंबित प्रतिबद्ध दायित्वों आदि को ध्यान में रखते हुए संयुक्त स्टाफ सहित रक्षा मंत्रालय के तहत सेवाओं और संगठनों के बीच निधियां आबंटित करता है।

3. इसके अतिरिक्त, समिति को आश्वासन दिया जाता है कि अनुपूरक/संशोधित अनुमान स्तर पर संयुक्त स्टाफ द्वारा प्रक्षेपित अतिरिक्त निधियों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। बजट-पूर्व बैठक की चर्चाओं के दौरान सेवाओं द्वारा प्रक्षेपित अतिरिक्त आवश्यकताओं पर भी वित्त मंत्रालय के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। इसके अलावा, आबंटित निधियों को प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्राथमिकता दी जाएगी कि तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताओं को उनके प्रचालनात्मक तैयारियों में किसी भी प्रकार के समझौते किए बिना अधिग्रहीत किया जाए।

सिफारिश (पैरा संख्या 28)

एक अन्य पहलू जो समिति के संज्ञान में आया है वह कम व्यय से संबंधित है। गत वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में, यह स्पष्ट है कि संयुक्त स्टाफ का संगठन दिसंबर 2021 तक केवल 2,504.49 करोड़ रुपये का उपयोग कर पाया था परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में अभी भी 1700 करोड़ रुपये खर्च किए जाने बाकी हैं। अंतिम तिमाही के लिए अनुमानित व्यय आरई स्तर पर 4146.26 करोड़ रुपये के आवंटन का लगभग 40 प्रतिशत है। समिति का मानना है कि अंतिम तिमाही में व्यापक स्तर पर व्यय करने का यह पैटर्न एक स्वस्थ संकेत नहीं है और वित्तीय व्यय प्रबंधन सिद्धांतों के विरुदध है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान उचित व्यय योजना तैयार करके कार्यान्वित की जानी चाहिए ताकि निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित सीमा में निधि का उपयोग किया जा सके ताकि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यापक स्तर पर निधियां अव्ययित शेष न रहे।

सरकार का उत्तर

वित्त मंत्रालय से दिनांक 19.01.2022 के पत्र संख्या 12(13)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, सेवाओं को वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के पूरा होने तक (अर्थात 31 दिसंबर, 2021 तक) 67% व्यय का लक्ष्य प्राप्त करना था। संयुक्त स्टाफ ने राजस्व के तहत 69% व्यय के साथ 61% के समग्र लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। हालांकि, मुख्य रूप से महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पूंजी के तहत व्यय लक्ष्य से पीछे रह गया।

संयुक्त स्टाफ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 100% निधियों का उपयोग किया है।

सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) का बजट प्रावधान

सिफारिश (पैरा संख्या 29)

समिति नोट करती है कि सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस) इंजिनियर-इन-चीफ की शाखा के अन्तर्गत केवल थल सेना के लिए अग्रेनीत(कैरी ओवर) पूंजी और कतिपय राजस्व शीर्षों और रखरखाव सेवाओं के लिए आवंटित बजट की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। सेवा मुख्यालय द्वारा स्टाफ चैनल के माध्यम से थल सेना के शेष कोड शीर्षों और अन्य सेवाओं के सभी कोड शीर्षों के लिए आवंटन एमईएस की निचली सेवाओं (लोवर एमईएस फार्मेशन्स) के लिए किया जाता है। समिति ने पाया कि 2020-21 में पूंजी शीर्ष के तहत, एमईएस के लिए 10,462.71 करोड़ रूपये की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तव में 8833.13 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया और केवल 6604.51 करोड़ रूपये का उपयोग किया गया। कम उपयोग का कारण कोविड -19 महामारी के कारण विलंब बताया गया था। 2021-22 में, एमईएस को 9137 करोड़ रूपये प्राप्त हए जिसमें से 31 जनवरी, 2022 तक केवल 5876 करोड़ रूपये का उपयोग किया जा सका। साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया गया था कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अर्थात 2021-22 तक पूरे बजटीय आवंटन का उपयोग किया जाएगा। समिति इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि गत वर्ष, महामारी के कारण आवंटित राशि का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया था और इस वर्ष भी 3261 करोड़ रूपये का उपयोग किया जाना बाकी है। समिति सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष में बिना चूक किए पूरे आवंटित निधि का उपयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा जोरदार प्रयास किए जाने चाहिए। समिति इस बात को भी नोट करती है कि 11वीं योजना के 484.42 करोड़ रुपये के छह कार्य और 11वीं योजना के 2397.14 करोड़ रुपये के 25 सीसीएस कार्यों को थल सेना के लिए पुन: प्राथमिकता निर्धारण किया गया था और 2263.71 करोड़ रूपये पुन: प्राथमिकता निर्धारण किया गया था। समिति चिंता व्यक्त करते हुए नोट करती है कि एक ओर करोड़ों रुपये के कार्यों की प्राथमिकता का पुन: निर्धारण किया जा रहा है और दूसरी ओर, धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है और अंततः वापस कर दिया गया है। समिति अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को एक उपयुक्त व्यय प्रबंधन तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके और पूंजी बजट के उपयोग में ईमानदारी से सुधार किया जा सके और वित्त वर्ष के तीन तिमाही और अंतिम तिमाही के भीतर निर्धारित समय और व्यय की सीमाओं का सख्ती से पालन किया जा सके। ताकि अप्रयुक्त निधियों को वित्तीय वर्ष के अंत में वापस न किया जाए और करोड़ों रुपये के तीनों बलों से संबंधित स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकता का पुन: निर्धारण ना करना पड़े।

सरकार का उत्तर

निधियों की वापसी को कम करने के लिए कई उपाए किए गए हैं । कार्यों की आयोजना, निष्पादन और निगरानी पर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को 18 अक्तूबर, 2021 को अनुमोदित किया गया था । यह एसओपी कार्यों के सम्प्रत्ययीकरण से पूर्णता तक एमईएस के प्रयोक्ता और जवाबदेही के संबंध में स्पष्ट परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है और जवाबदेही का निर्धारण करती है । एसओपी - कार्य की प्रत्याशित गुणवत्ता पूरा करने का समय, स्टेशन कमांडर एवं परियोजना प्रबंधन समूह (पीएमजी) के कार्यकरण के दिशानिर्देश भी निर्धारित करती है । इनमें कार्यों की प्रगति की मॉनीटर करने में सुधार और निष्पादन की पद्धति में सुधार के लिए उपाय शामिल हैं। वेब आधारित परियोजना प्रबंधन (डब्ल्यू बीपीएमपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यों के लिए तंत्रों की निगरानी में सुधार करने के अतिरिक्त, एमईएस अभियांत्रिकी प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) निष्पादन की रीति को धीरे-धीरे अपना रही है जिससे कार्यों के निष्पादन की समग्र गति में सुधार होने तथा पूंजीगत बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होने की प्रत्याक्षा है ।

<u>सैन्य अभियंता सेवाएँ</u>

<u>बजट</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 30)

समिति यह देखकर निराश हुई कि मंत्रालय द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई सभी सामग्री और जानकारी को देखने के बाद, एमईएस के संबंध में पूंजी और राजस्व शीर्षों (अलग-अलग और संयुक्त) के तहत वर्ष 2022-23 के लिए किए गए अनुमान और आवंटन के आंकड़े उन्हें उपलब्ध नहीं कराये गए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत न करने के कारणों और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमईएस के लिए किए गए अनुमान और बजट आवंटन से संबंधित आंकड़ों से उन्हें जल्द से जल्द अवगत कराया जाए ।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी सेवाओं के संबंध में बजट प्राक्कलन (पूंजीगत एवं राजस्व समेकित) कार्य मार्च, 2022 में अनुदान मांगों पर बिन्दु की अनुपूरक सूची के उत्तर के रूप में उपलब्ध कराए गए थे । वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सेवा-वार कार्य आवंटन की सूचना नहीं दी जा सकी क्योंकि आबंटन वित्त वर्ष की शुरूआत अर्थात अप्रैल, 2022 में किए गए थे । वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमईएस हेतु की गई प्रकल्पनाओं और किए गए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु.)

सेवा	सी/ओ पूंजी		राजस्व	
	बजट प्राक्कलन अनुमान	आवंटन	बजट प्राक्कलन अनुमान	आवंटन
सेना	3732.85	3855.13	2983.99	2857.17
नौसेना	1731.00	1400.00	1979.64	1617.80
वायु सेना	5416.79	2290.08	3267.25	2023.93
कुल	**10880.64**	**7545.21**	**8230.88**	**6498.90**

<u>वित्तीय देनदारियां</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 31)

समिति इसे चिंता के साथ नोट करती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके दवारा किए गए कार्यों के संबंध में एमईएस की वित्तीय देनदारियां बढ़ रही हैं। 1 अप्रैल, 2021 तक, यह 30244 करोड़ रुपये है और सैन्य अभियंता सेवा के पास लंबित हैं। समिति स्पष्ट रूप से देख सकती है कि पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय देनदारियों को चुकता करने के लिए एमईएस दवारा गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। समिति नोट करती है कि एमईएस ने परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए इस साल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मेथडोलॉजी शुरू की है। समिति आशा व्यक्त करती हैं कि एमईएस सही तरीके से अपनी प्रक्रियाओं और कार्यों को सुव्यवस्थित करेगा ताकि इस वर्ष ईपीसी पद्धति को अपनाने के साथ देनदारियों को कम किया जा सके। समिति 1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा समिति की गई कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय वित्तीय देनदारियों के आंकड़ों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

जबकि सेवाओं के लिए कुल देयताएं पूर्व की भांति सामान्यतः एकसमान हैं, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निष्पादन देयताओं में 12.42% गुणात्मक कमी हुई है जो चल रहे कार्यों के निष्पादन को पूर्ण करने में किए गए उपायों का सूचक है । यह भी प्रत्यक्षा की गई है कि ईपीसी कार्यप्रणाली के निष्पादन की रीति वित्त वर्ष 2022-23 में कार्यों के निष्पादन की गति को और बढ़ाएगी और देयताओं में कभी सुनिश्चित करेगी। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयताएं निम्नानुसार हैं :-

(रू. करोड़ में)

क्रम सख्या	सेना	देयता का निष्पादन	टेंडर देयता
(क)	सेना	7125.36	7579.35
(ख)	नौसेना	1924.28	3999.27
(ग)	वायु सेना	5657.69	5271.92
(घ)	आईडीएस	456.67	1493.65
	कुल	**15164.00**	**18344.19**
01 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयताएं: 33,508.19 करोड़ रु.			

सिफारिश (पैरा संख्या 32)

समिति को पता चला है कि हाल ही में सैन्य अभियंता सेवाओं ने कार्यों के निष्पादन और सेवाओं के कामकाज में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की हैं। समिति यह भी नोट करती है कि एमईएस द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रक्षा कर्मियों के लिए बिजली की लागत और प्रशुल्क में कटौती के लिए कई पहल की गई । इस संबंध में कहा गया कि मंत्रालय ने विदयुत मंत्रालय के साथ मिलकर सशस्त्र बलों के लिए एक विशेष बिजली स्लैब प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया था। हालांकि, समिति इस तथ्य के कारण संशय में है कि बिजली राज्य का विषय है इसलिए इस संबंध में किसी सार्थक या तार्किक निष्कर्ष पर पंहुचना मुश्किल और कठिन होगा। रक्षा कर्मियों के लिए कम प्रशुल्क दरों को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मामले को आगे बढ़ाने के कई कानूनी निहितार्थ भी हो सकते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सौर फोटोवोल्टिक(एसपीवी) परियोजनाएं जो पहले से ही रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, उन्हें हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए जो बहुत किफ़ायती होगी और अंततः वांछित उद्देश्य को पूरा करेगी। इन एसपीवी परियोजनाओं को दूरस्थ स्थानों पर भी स्थापित किया जाना चाहिए ताकि रक्षा कर्मियों को अधिकतम लाभ दिया जा सके। समिति मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के तीन महीनें के भीतर अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

एमईएस द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :-

(क) **<u>एमईएस द्वारा सोलर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) परियोजनाएं</u>** पहले चरण में, एमईएस ने रक्षा मंत्रालय की ओर से देश में सेना, नौसेना और वायु सेना की 134 स्थानों पर सौर ऊर्जा संयत्रों की व्यवस्था सौंपी है। एसपीवी कार्यों में से 145.60 एमडब्ल्यू जो एमईएस के

कार्यान्वयनधीन है, 106.72 क्षेत्रवार क्षमता तक की परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं जबकि 38.88 एमडब्ल्यू क्षमता तक की परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं।

(ख) <u>सैन्य बलों के लिए विशिष्ट इलेक्ट्रिक स्लैब.</u> अधिकांश सैन्य स्टेशनों में सैन्य बलों को इलेक्ट्रिक प्रशुल्क के लिए बहुल मिश्रित लोड एचटी श्रेणी अथवा समकक्ष स्लेबों में रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी आवासीय स्कूलों में कोई समूह आवासीय योजना लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) में आयोजित 76वां विनियामकों के फोरम (एफओआर) में विचार-विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा इसका उचित निर्णय लिया जाएगा।

माननीय रक्षा राज्यमंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को दिनांक 28.02.2022 को एक अर्धशासकीय पत्र भी लिखा गया है जिसमें सशस्त्र बलों के कार्मिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को अनुमत अथवा समकक्ष सशस्त्र बलों के लिए पृथक प्रशुल्क स्लैबों के सृजन के लिए एमईएस के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोगों को आवश्यक आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पूर्व में प्रभारित विद्युत आपूर्ति दरों के विरूद्ध घरेलू दरों के कार्यान्वयन के लिए हाल में आदेश जारी किए हैं (प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न)।

सिफारिश (पैरा संख्या 34)

समिति नोट करती है कि वर्तमान में, देश के 748 जिलों में से 353 में ईसीएचएस सुविधाएं उपलब्ध हैं, शेष जिलों को योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे उन जिलों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों को ईसीएचएस सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि कुछ स्थानों पर सशस्त्र सेना सेवा अस्पताल, जो डॉक्टरों, नर्सों, बिस्तरों और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित हैं, का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को प्रक्रियाओं/नियमों में ढील देने पर विचार करना चाहिए ताकि सशस्त्र सेना अस्पतालों की सेवाएं ईसीएचएस लाभार्थियों, जिन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, के लिए भी सर्वोतम संभव तरीके से खोली जा सकें।

सरकार का उत्तर

(क) ईसीएचएस सुविधाएं 748 में से 353 जिलों में उपलब्ध है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस में 427 पॉलीक्लीनिक उपलब्ध हैं। गंभीर बीमारियों के लिए विशेष उपचार (पॉलीक्लीनिकों में उपलब्ध सुविधाओं से परे) मिलिट्री अस्पतालों और वैध एमओए वाले 2046

पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में प्रदान किया जाता है। निजी अस्पतालों में उपचार का दर सीजीएचएस दरों के अनुसार है। आपातकालीन स्थिति में सदस्यों को गैर-पैनलबद्ध अस्पतालों में भुगतान करके इलाज करवाने की अनुमति है। उनके चिकित्सीय बिलों की प्रतिपूर्ति अनुमोदित (सीजीएचएस) दरों पर की जाती है।

(ख) योजना की संकल्पना इस तरीके से की गई है कि सशस्त्र सेना चिकित्सीय सेवा (एएफएमएस) अस्पतालों के नजदीक स्थित मिलिट्री पॉलीक्लीनिकों पर आश्रित ईसीएचएस लाभार्थियों को सबसे पहले इन अस्पतालों में भेजा जाता है। केवल ऐसी स्थिति में जब एएफएमएस अस्पताल में उपचार बिस्तर की अनुपलब्धता के कारण गुंजाइश में बाहर होने के कारण या उचित विशेषज्ञ डॉक्टरों अथवा उपकरण की अनुपलब्धता के कारण असक्षम होने के कारण न हो सके, तब लाभार्थियों को पैनलबद्ध अस्पतालों में भेजा जाता है। इसलिए, ईसीएचएस लाभार्थियों के उपचार के लिए एएफएमएस अस्पतालों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जाता है। लगभग 10% बिस्तर का उपयोग भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के इलाज के लिए होता है।

<u>भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना</u>

<u>बजट</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 35)

समिति को पता चला है कि ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के प्रभारी कार्यालय (ओआईसी) के पदों के लिए रिक्तियां मंत्रालय द्वारा अनिवार्य रूप से गैर-चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भरी जाती हैं और सेवानिवृत्ति चिकित्सा अधिकारियों पर पदों के लिए विचार नहीं किया जा रहा है, जो विरोधाभासी है क्योंकि पेशेवर रूप से योग्य चिकित्सा अधिकारी नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त और योग्य हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को उपलब्ध भूतपूर्व सैनिक एएमसी/जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) आदि के साथ ओआईसी, ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के पदों के लिए रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए। समिति को इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर अवगत करा दिया जाए।

सरकार का उत्तर

सेवानिवृत्त सेना चिकित्सीय कोर (एएमसी)/ सेना डेंटल कोर (एडी) अधिकारियों को वर्तमान में पॉलीक्लीनिकों में चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा विशेषज्ञों और डेंटल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। गैर-चिकित्सा अधिकारियों को ओआईसी पॉलीक्लीनिकों के

रूप में नियुक्त किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य प्रोफेशनल दैनिक प्रशासनिक कार्यों में उलझे न रहें और उनकी विशेषज्ञता का उचित उपयोग हो सके। तथापि, जहाँ पर ओआईसी पॉलीक्लीनिक के रूप में नियुक्त होने के लिए कोई गैर-चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ स्टेशन कमांडरों को उचित चिकित्सा अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन्हें ओआईसी पॉलीक्लीनिक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति है यदि पॉलीक्लीनिकों की चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया हो।

सिफारिश (पैरा संख्या 36)

समिति ने ऐसे कई उदाहरण देखें हैं जहां ईसीएचएस लाभार्थियों को किसी न किसी बहाने से निजी पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा सेवाओं से वंचित कर दिया गया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय ऐसी शिकायतों की जांच करे और इस कमी के कारणों का पता लगाए और समिति को इससे अवगत कराए। समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय इस समस्या का सही गंभीरता से समाधान करे और निकट भविष्य में इसे कम करे। समिति चाहती है कि वित्त वर्ष की शुरूआत में सभी लंबित बिलों के दावों का भुगतान करने के लिए विशेष रूप से समर्पित और गैर-व्यपगत बजट होने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए, जिसका इस उद्देश्य के लिए सख्ती से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो मंत्रालय को अनुपूरक अनुदानों के अनुमोदन के समय अतिरिक्त बजटीय आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सभी निजी पैनलबद्ध अस्पतालों को दिशा निर्देशों के अनुसार सभी परिस्थितियों में ईसीएचएस लाभार्थियों की सेवा करने के लिए एक सख्त सलाह जारी करनी चाहिए और उनकी ओर से वे बिलों का शीघ्रता से निपटान करेंगे।

सरकार का उत्तर

(क) निजी पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा ईसीएचएस लाभार्थियों को सेवाएं न देने संबंधी शिकायतों की केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस द्वारा प्राथमिकता पर जांच की जाती है और कमी के स्तर के अनुसार आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थियों को सेवाएं न दिए जाने की कोई घटना न हो, समय से बिल तैयार करने, समय से भुगतान करने और ईसीएचएस डील करते हुए पैनलबद्ध अस्पतालों की प्रशासनिक लागत कम करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) मई, 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान केन्द्रीय संगठन और साथ ही रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी निजी पैनलबद्ध अस्पतालों को पहले से ही एक कड़ी परामर्शिका जारी की

गई है। शिकायतें मिलने पर पैनलबद्ध अस्पतालों को समय-समय पर ऐसी ही परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं।

(ग) ईसीएचएस को विभिन्न स्तरों पर कम आबंटन के स्थान पर इच्छुक बजट की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विशेष तौर पर सभी लंबित बिलों/दावों को निपटाने के लिए एक समर्पित और अचूक बजट की व्यवहार्यता को लेकर समिति की सिफारिश पर बजट प्राधिकारियों के साथ परामर्श किया जाएगा।

सैनिक स्कूल

बजट

सिफारिश (पैरा संख्या 37)

वित्त मंत्री द्वारा अपने वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में 100 और स्कूल खोलने की घोषणा के बाद से सैनिक स्कूल संगठन का विस्तार हो रहा है। सैनिक स्कूलों के बजट को संशोधित कर 300.00 करोड़ रू. कर दिया गया था, जो बीई चरण में 137.68 करोड़ रू. था। सैनिक स्कूल के विस्तार को ध्यान में रखते हुए समिति का दृढ़ मत है कि सैनिक स्कूलों के संगठन को परिकल्पित विकास योजना के अनुरूप अपेक्षित निधियां प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, समिति को इस बात पर हैरानी है कि वर्ष 2022-23 के बजट में, सैनिक स्कूल द्वारा अनुमान केवल 170.87 करोड़ रू. है, जिसका अभी तक आबंटन भी नहीं किया गया। समिति यह पाती है कि नए स्कूल खोलने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और उपयुक्त सुविधाओं को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः सैनिक स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा पर्याप्त बजटीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

सैनिक स्कूल सोसायटी पर्याप्त रूप से सैनिक स्कूलों की जरूरतें पूरी कर रही है। सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा अनुमोदन मिलने के आधार पर भागीदारी में एनजीओ/राज्य सरकार/निजी स्कूलों के साथ नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों को संबंधित एनजीओ/ निजी /राज्य सरकारी स्कूलों द्वारा चलाया जाएगा जिसमें सरकार अनुमोदित स्कूल के लिए मेरिट आधार पर नए स्कूल पैर्टन के तहत छात्रों को 50% कक्षा बल (प्रति वर्ष हर क्लास में 50 छात्रों की अधिकतम सीमा के अध्यधीन के लिए 50% फीस तक (प्रति वर्ष प्रति छात्र 40,000/- रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) की वार्षिक फीस सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त बजटीय प्रवाह सैनिक स्कूलों के लिए पर्याप्त है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सैनिक स्कूल सोसायटी को 200 करोड़ रू. का बजट आबंटित किया गया है।

सिफारिश (पैरा संख्या 38)

समिति को यह बताया गया था कि सैनिक स्कूलों के लिए बजट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रदान किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया था कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण न केवल अनियमित हो गया है, बल्कि उनके हिस्से में भी गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 में, यह हिस्सा 12620.83 लाख रुपये था, वर्ष 2019-20 में यह 11899.53 लाख रुपये था, और वर्ष 2020-21 में, यह और घटकर 10270.99 लाख रुपये हो गया। समिति राज्य के अंतर्गत आने वाले सैनिक स्कूलों की दुर्दशा को अच्छी तरह से समझ सकती है, जहां राज्य सरकार समय पर और आवश्यक निधियां प्रदान नहीं करती है। इसके आलोक में, समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त करते समय, रक्षा मंत्रालय को राज्य सरकार के पूर्व निर्धारित वित्तीय हिस्से के प्रावधान को सुनिश्चित करने के मामले को सख्ती से उठाना चाहिए और यह भी कि संबंधित राज्य अपनी दीर्घकालिक वित्तपोषण योजना प्रस्तुत करने में सक्षम होगा।

सरकार का उत्तर

शुरुआत में **विनम्रतापूर्वक यह बताया जाता है कि उपर्युक्त आंकड़े लाखों में हैं न कि करोड़ों में।** रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर खोले जाते हैं। नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस समझौता ज्ञापन में रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार की भूमिका और उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन में स्कूल की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व निर्धारित वित्तीय उत्तरदायित्वों और दीर्घावधिक निधीयन योजना शामिल है। राज्य सरकारों से देय निधियां प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ लगातार अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

सिफारिश (पैरा संख्या 39)

अनुदानों की मांगों (डीएफजी) की जांच के दौरान, समिति को इस बात से अवगत कराया गया था कि छठे सीपीसी केन्द्रीय वेतन आयोग और सातवें सीपीसी वेतनमानों के कार्यान्वयन के बाद, सैनिक स्कूलों को कतिपय वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से बढ़े हुए वेतन/भत्तों के कारण अतिरिक्त निधियों का भुगतान करने में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि, रक्षा मंत्रालय की सहायता से, सैनिक स्कूल सोसायटी काफी हद तक उन बाधाओं से पार पाने में सक्षम थी। समिति सैनिक स्कूल सोसायटी को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान

की गई वित्तीय सहायता की सराहना करती है और चाहती है कि अतिरिक्त निधियों के भुगतान के लिए शेष बजट को भी शीघ्रता से प्रदान किया जाए।

सरकार का उत्तर

रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में सैनिक स्कूलों को 75.49 करोड़ रु. का अनुदान उपलब्ध कराकर वेतन और पेंशन भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था पहले ही कर दी है। सैनिक स्कूल सोसाइटी सम्मानित समिति के संज्ञान में लाना चाहेगी कि राज्य सरकारों से उनके उत्तरदायित्वों के चार्टर के अनुसार बकाया निधियां प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय में सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए 200 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया है।

2. समिति की सिफारिश को अनुपालन हेतु नोट किया गया है। समिति को आश्वस्त किया जाता है कि सैनिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को मौजूदा वित्त वर्ष के अनुपूरक/ संशोधित अनुमान चरणों में मूर्त रूप दिया जाएगा।

<u>अवसंरचना</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 40)

समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कुछ सैनिक स्कूलों में विशेष रूप से रेवाड़ी, सैनिक स्कूल गोपालगंज, सैनिक स्कूल पूर्वी सियांग और सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूलों में अपर्याप्त अवसंरचना व्यवस्था है। मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि अवसंरचना का अनुरक्षण भी राज्य सरकार का विषय है, लेकिन तथापि समिति नोट करती है कि इस प्रयोजनार्थ अनुदानों का आवंटन भी कुछ मामलों में वास्तविक मांग को पूरा नहीं करता है। समिति ने अपनी नाराजगी जताते हुए इस बात की इच्छा जताई कि इस संबंध में एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। चूंकि निकट भविष्य में सैनिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि होगी, इसलिए प्रत्येक स्कूल के स्तर पर आवश्यक, आधुनिक और समान अवसंरचना का प्रावधान मानक होना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को सभी सैनिक स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना के रखरखाव और सृजन के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत करना चाहिए। समिति इस संबंध में हुए घटनाक्रमों के बारे में अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूलों में गुणवत्तायुक्त अवसंरचना विकसित करने के लिए काफी उत्सुक है। अपर्याप्त अवसंरचना से संबंधित कमियों को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूलों के प्रस्ताव की स्वीकृति के अध्यधीन प्रत्येक सैनिक स्कूल को प्रतिवर्ष **1 करोड़ रु.** का अवसंरचना अनुदान मुहैया कराता है। सैनिक स्कूलों की अवसंरचना में एकरुपता के संबंध में सैनिक स्कूलों की मूल संरचना समान है क्योंकि सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट समझौता ज्ञापन (एमओए) प्रपत्र के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। तथापि उनके भौगोलिक स्थानों और संबंधित राज्य सरकार से निधीयन सहायता के स्तर के कारण कुछ अंतर रह सकता है।

सिफारिश (पैरा संख्या 41)

समिति को पता चला कि कुछ सैनिक स्कूल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थि हैं, जिससे शिक्षकों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। चूंकि देश भर में पर्याप्त प्रतिभा उपलब्ध है, इसलिए सैनिक स्कलों को प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति का मत है कि सैनिक स्कूल सोसायटी केन्द्रीय विद्यालयों के अनुभव से भी सीख सकती है, जहां कर्मचारियों/शिक्षकों को नियमित आधार पर बारी-बारी से स्थानांतरित किया जाता है।

सरकार का उत्तर

सम्मानित समिति के सुझाव नोट कर लिए गए हैं।

सिफारिश (पैरा संख्या 42)

समिति को अवगत कराया गया कि सैनिक स्कूलों की संख्या में उनकी बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन सेना शिक्षा कोर के अधिकारियों में कोई सहवर्ती वृद्धि नहीं हुई है जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एडमिन ऑफिसर के पद पर हैं। नतीजतन, कुछ अवसरों पर, तीनों सेनाओं को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारी के पद को भरने के लिए अपेक्षित क्यूआर के साथ अधिकारियों को नियुक्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सैनिक स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने सेना शिक्षा कोर के अधिकारियों की संख्या की समीक्षा करने और

उपयुक्त रूप से बढ़ाने की सिफारिश की है और उन्हें इस संबंध में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सम्मानित समिति की सिफारिश नोट की गई है।

सिफारिश (पैरा संख्या 43)

जहां तक सैनिक स्कूल, बीजापुर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त स्कूल अपेक्षाकृत पुराना होने के कारण अवसंरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है । तथापि, यह आश्वासन दिया गया था कि पिछले कुछ वर्षों में बजटीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सभी प्रकार की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा । समिति को आशा है कि पुराने स्कूलों सहित सभी सैनिक स्कूलों के समग्र अवसंरचना अनुरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण केन्द्रीय स्तर पर शुरू किया जा सकता है । सैनिक स्कूल, ग्वालपाड़ा के संबंध में, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि असम राज्य से निधियों का प्रावधान न किए जाने के कारण कुछ विलंब हुआ है । हालांकि, 2020-21 में 7 करोड़ 68 लाख रू. के अनुदान के साथ विकास कार्य प्रगति पर है और उस स्थान पर एनडीए एवं एसएसबी के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं । समिति चाहती है कि जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, ऐसी सुविधाएं अन्य सैनिक स्कूलों में भी सृजित की जाएं और निधियों की कमी के कारण कार्य प्रभावित न हो ।

सरकार का उत्तर

रक्षा मंत्रालय, एनडीए और एसएसबी के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं सहित सभी सैनिक स्कूलों की अवसंरचना आवश्यकताओं की ध्यानपूर्वक निगरानी करता है । स्कूलों की आवश्यकताओं को इस संबंध में उपलब्ध बजट की तुलना में पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है ।

<u>बालिका उम्मीदवारों का प्रवेश</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 44)

समिति ने अपनी पूर्व रिर्पोटों में सैनिक स्कूल में छात्राओं को प्रवेश देने की सिफारिश की थी । शैक्षणिक सत्र 2021-22 में समिति द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सभी 33 सैनिक

स्कूलों में छठी कक्षा में 312 छात्राओं को प्रवेश दिया गया था । यह पाया गया कि सरकार ने कंटीले तारों की बाड़ के साथ एक अलग छात्रावास, महिला कर्मचारियों की नियुक्ति, छात्रावास में अलग अलग वॉशरूम, खेल मैदान, ऑडिटोरियम, मेस और अकादमिक ब्लॉक, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना आदि जैसी सुविधाएं बनाने के लिए 109 करोड़ रू. प्रदान किए थे । समिति ने छात्राओं के लिए अपेक्षित अवसंरचना के सृजन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए अनेक कदमों पर ध्यान देते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि स्कूल स्तरों पर अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के संवर्धन और उनको स्थायित्व प्रदान करने हेतु निगरानी के लिए नियमित आधार पर केन्द्रीय स्तर के दौरे किए जाएंगे ।

सरकार का उत्तर

सुविधाओं के संवर्धन के संबंध में अद्यतन स्थिति के अलावा सैनिक स्कूलों के संचालन की निगरानी के लिए सैनिक स्कूल सोसायटी के निरीक्षण अफसरों (ब्रिगेडियर लेवल) द्वारा नियमित रूप से केन्द्रीय स्तर के दौरे किए जा रहे हैं ।

सिफारिश (पैरा संख्या 45)

समिति एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करने की भी सिफारिश करती है ताकि महिला छात्र/कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपनी शिकायतों को पंजीकृत कर सकें ताकि उनका निष्पक्ष समाधान किया जा सके । समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी ।

सरकार का उत्तर

सैनिक स्कूलों में महिला छात्र/कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र पहले से ही मौजूद है । महिला छात्रों/कर्मचारी अपनी शिकायत सैनिक स्कूल के प्रिंसीपल और सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय को दर्ज/ पंजीकृत कर सकते हैं

सिफारिश (पैरा संख्या 46)

सैनिक स्कूल सोसायटी बहुत लंबे समय तक “केवल लड़कों का स्कूल” था। चूंकि छात्राओं को हाल ही में शामिल किया गया था, इसलिए समिति का मानना है कि इस बात की आवश्यकता है कि संकाय/अधिकारियों और छात्रों के लिए एक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें स्कूल में लड़कियों को समायोजित करने और उनका

सम्मान करने के लिए जागरूक बनाया जा सके । समिति यह भी चाहती है कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किए जाएंगे ।

सरकार का उत्तर

I. सभी सैनिक स्कूलों के शिक्षण स्टाफ/अधिकारियों/ छात्रों के अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ।

II. सैनिक स्कूल सोसायटी ने सैनिक स्कूल सोसायटी के स्टाफ और कैडेट के लिए 19 अगस्त, 2021 से ऑनलाइन पुरूष/महिला संवेदनशीलता (जेंडर सेंसिविटी) कार्यशाला किया । कार्यशाला का आयोजन आईजेएएजेडएटी (इज्जत) संस्था द्वारा किया गया था इसमें 33 सैनिक स्कूलों से कक्षा IX से कक्षा XII तक पढ़ने वाले कैडेटों के लिए अलग-अलग सत्रों का आयोजन किया गया था । कुल 7915 कैडेट इस कार्यशाला में उपस्थित थे ।

<u>नए सैनिक स्कूलों की शुरूआत</u>

सिफारिश (पैरा संख्या 47)

सरकार ने बजट 2020-21 में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी । निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 100 नए स्कूलों की स्थापना को 12 अक्टूबर, 2021 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था । यह भी सूचित किया गया कि 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 379 इच्छुक स्कूलों ने अब तक सैनिक स्कूल सोसायटी के अंतर्गत पंजीकरण कराया है । रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि नई योजना में राज्य सरकारों की भूमिका भी शामिल है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिलों को यथापुपात आधार पर विभाजित किया जा रहा है । समिति चाहती है कि उन राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां कोई सैनिक स्कूल नहीं है, पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि योजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर आगे बढ़े । इस संबंध में एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत की जा सकती है ।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है । प्रक्रिया पूरी होने पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

सिफारिश (पैरा संख्या 48)

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से, समिति ने नोट किया कि सोसायटी प्रति स्कूल 40,000 रू. की ऊपरी सीमा के अध्यधीन 50% की वार्षिक शुल्क सहायता प्रदान करेगी । समिति इस बात पर जोर देती है कि रक्षा मंत्रालय जहां तक संभव हो विभिन्न स्कूलों के शुल्क ढांचे में एकरूपता लाने का प्रयास करेगा । स्पष्टतः हालांकि स्थानगत भत्ते आदि समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वाधान में काम करने वाले स्कूलों में शिक्षा शुल्क समान होना चाहिए ।

सरकार का उत्तर

नए सैनिक स्कूल, भागीदारी ढंग से खोले जा रहे हैं और उन्हें सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा । एनजीओ/निजी/राज्य सरकारी स्कूलों द्वारा इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा । भारत सरकार नई स्कूल पद्धति के अंतर्गत योग्यता-सह-साधन पर अनुमोदित स्कूलों के लिए 50% फीस (40,000/- रू. प्रति छात्र वर्ष की ऊपरी सीमा के अध्यधीन) कक्षा के छात्रों की संख्या के 50% तक (प्रति कक्षा 50 छात्रों की ऊपरी सीमा के अध्यधीन) वार्षिक फीस सहायता प्रदान करेगी । अनुमोदित स्कूलों से एक पारदर्शी फीस संरचना बनाने और उसका पालन करने की आशा है ।

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं

सिफारिश (पैरा संख्या 3 और 4)

अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान समिति को यह बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय थल सेना ने भली-भांति सोच विचार कर स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। बड़ी संख्या में विदेशों से अधिग्रहण किए जा रहे उपस्करों का उत्पादन अब घरेलू स्तर पर किया जा रहा है। इसमें लंबा समय लगता है क्योंकि उद्योग द्वारा नए उपस्करों का उत्पादन, इनका परीक्षण, अनुवर्ती स्वीकृति और अग्रिम मोर्चों पर उपयोग हेतु उत्पाद की तैनाती शामिल है। सेना के प्रतिनिधियों ने आगे बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत बजट में कटौती या पुनर्विनियोजन के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए थल सेना की सराहना करती है और चाहती है कि मंत्रालय को मौजूदा वैश्विक संघर्षपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों को इष्टतम रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु अपेक्षित कदम उठाने चाहिए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

समिति को सूचित किया गया था कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान (31.12.2021 तक) भारतीय थल सेना के लिए टैंक, मिसाइल, वाहन, टैंकों के लिए माइन प्लो, पिनाक-प्रणाली, सुरक्षित संचार प्रणाली, मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड (एमएचएचजी), हथियार का पता लगाने वाले रडार और असॉल्ट राइफल्स जैसे रक्षा उपस्करों की पूंजीगत खरीद के लिए 29 अनुबंधों में से 19 अनुबंधों पर भारतीय विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए। 2020-21 और 2021-22 के दौरान (दिसंबर 2021 तक) स्वदेशी अनुबंधों पर थल सेना के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट के अंतर्गत क्रमशः 17,446.83 करोड़ रुपये और 9946 करोड़ रुपये व्यय किए गए। समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि आवंटित राशि का लगभग 80% घरेलू खरीद के लिए लक्षित है और थल सेना घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सहयोग कर रही है। समिति की प्रबल इच्छा है कि आने वाले समय में सेना के बल संवर्धन और आधुनिकीकरण के लिए परिव्यय का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 10 मार्च, 2021 के अपने आदेश द्वारा वर्ष 2021-22 में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 71,438 करोड़ रु. (कुल पूंजीगत बजट का 64.09 प्रतिशत) की राशि निर्धारित की जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 84,597.89 करोड़ रु. (कुल पूंजीगत अधिग्रहण बजट का 68 प्रतिशत) कर दिया गया। थल सेना के लिए वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत अधिग्रहण बजट हेतु 25,908.85 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं जिसमें से घरेलू खरीद के लिए 19,690.73 करोड़ रु. (76.00 प्रतिशत) आवंटित किए गए हैं ।

इसके अलावा, विगत दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 के दौरान थल सेना के पूंजीगत अधिग्रहण संबंधी कुल 33 संविदाओं में से रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ 23 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सिफारिश (पैरा संख्या 22)

विशेष रूप से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन के संबंध में, नौसेना को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (आधुनिकीकरण) के तहत 45,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । इसके अलावा, यह कहा गया था कि वर्तमान कुल प्रतिबद्ध देनदारियां 1,20,890 करोड़ रुपए हैं । अगले पांच वर्षों में अनुबंध के लिए 1,99,252 करोड़ रुपए और 2,50,571 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं । समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि वर्तमान लंबित प्रतिबद्ध देनदारियां आवंटन से कहीं अधिक हैं, इसलिए, सरकार को आवंटन करते समय वर्तमान देनदारियों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लंबित देनदारियां भविष्य की संविदा वार्ताओं में बाधाएं पैदा न करें ।

सरकार का उत्तर

बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के अंतर्गत भारतीय नौसेना को 45,250 करोड़ रुपए (अर्थात् बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में 14,218.98 करोड़ रुपए अधिक) आवंटित किया गया था ।

2. तथापि, समिति को यह आश्वासन दिया जाये कि पूंजीगत अधिग्रहण (आधुनिकीकरण) शीर्ष के तहत अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण पर भारतीय नौसेना द्वारा अनुमानित अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । इसके अलावा, आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग प्रचालनात्मक कार्यकलापों में किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो योजनाओं की प्राथमिकता पुनः निर्धारित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को प्रचालनात्मक तैयारी और भविष्य की संविदा वार्ताओं में बिना समझौता किए प्राप्त किया जा सके।

सिफारिश (पैरा संख्या 33)

समिति नोट करती है कि 2020-21 में ईसीएचएस को संशोधित विनियोग चरण में 5321.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन वास्तविक उपयोग केवल 4579.63 करोड़ रुपये था। समिति यह देखकर निराश है कि कोविड महामारी के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि और बिलों के लंबित होने के बावजूद, आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में इसे वापस करना पड़ा। समिति ने आगे यह भी नोट किया कि 2021-22 में संशोधित अनुमान चरण में 4412.51 करोड़ रुपये के आवंटन के बाद मंत्रालय ने 550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग रखी जिससे कुल अनुमानित मांग 4962.51 करोड़ रुपये हो गई। तथापि, 31 जनवरी, 2022 तक 3882.20 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग हुआ। ईसीएचएस के पास पैनलबद्ध अस्पतालों तथा ईसीएचएस लाभार्थियों से संबंधित लंबित बिलों को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि 2021-22 में अतिरिक्त आवंटित धनराशि का विवेकपूर्ण तरीके से और सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाए। समिति इस बात से बहुत क्षुब्ध है कि बड़े और मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों के ईसीएचएस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने से इनकार करने का कारण भारी संख्या में बिलों का लंबित होना बताया गया जिसके कारण ईसीएचएस लाभार्थी सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना चाहिए ताकि 2021-22 में धन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यह योजना हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित है और इसे हर हाल में इस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। समिति पैनलबद्ध और ईसीएचएस निजी अस्पतालों और लाभार्थियों की कुल बकाया राशि और बकाया चुकाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहती है।

सरकार का उत्तर

विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 4870.75 करोड़ रुपए के कुल बजटीय आवंटन में से 31.03.2022 तक 4860.54 करोड़ रुपए का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। ईसीएचएस लाभार्थियों और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के 06.04.2022 तक लंबित बिलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**बिल का प्रकार**	**बिलों की संख्या**	**राशि (करोड़ रू में)**
(क)	व्यैक्तिक बिल	75,595	212.33
(ख)	पैनलबद्ध अस्पतालों के बिल	7,24,943	**1856.58**

अध्याय - पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतरिम उत्तर प्राप्त हुए हैं/ प्रतीक्षित हैं

-शून्य-

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 20 दिसंबर, 2022 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा
3. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. श्री डी.एम. कथीर आनन्द
6. कुंवर दानिश अली
7. डॉ. राजश्री मल्लिक
8. श्री एन. रेड्डप्पा
9. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
10. श्री जुगल किशोर शर्मा
11. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
12. श्री प्रताप सिम्हा
13. श्री बृजेन्द्र सिंह
14. श्री दुर्गा दास उइके

राज्य सभा

15. श्री सुशील कुमार गुप्ता
16. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
17. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
18. श्रीमती पी.टी. उषा
19. श्री जी. के. वासन
20. ले. जनरल (डॉ.) डी.पी.वत्स (रिटा.)

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कामकाज की समीक्षा' विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी देने और की-गई-कार्रवाई संबंधी दो प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकृत करने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, सभापति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेशों के निदेश 55(1) और 58 की ओर भी आकर्षित किया।

3. ****** प्रतिवेदन से संबधित नहीं है । *******

4. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित विषयों संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ उठाया:

(i) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियंता सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' विषय से संबंधित सत्ताइसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई;

(ii) 'रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' विषय से संबंधित अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने बिना किसी बदलाव/संशोधन के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया। समिति ने सभापति को उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप प्रदान करने और उन्हें सुविधाजनक तिथि पर सदन में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

5. कार्यवाही की एक शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - दो

'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, एमईएस, ईसीएचएस और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की माँगों' से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के सत्ताइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

1. **कुल सिफ़ारिशें 48**

2. **टिप्पणियां/सिफारिशें/जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय - दो):**

   पैरा सं. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27 28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

   (कुल:44)
   प्रतिशत: 92%

3. **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है (अध्याय - तीन):**

   पैरा सं. - शून्य

   (कुल:शून्य)
   प्रतिशत: 00%

4. **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं (अध्याय - चार):**

   पैरा सं. 3,4,22,33

   (कुल-04)
   प्रतिशत: 8%

5. **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार से अंतिम उत्तर प्राप्त हुए हैं/ प्रतीक्षित हैं (अध्याय पाँच):**

   पैरा सं. - शून्य

   (कुल:शून्य)
   प्रतिशत: 00%